

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-403

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

लंबित विद्युत परियोजनाएं

*403. श्री बी. वी. नाईक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन के स्रोतों और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार उत्पादित विद्युत की मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) लंबित विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) कर्नाटक में लंबित विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन के स्रोतों तथा विगत तीन वर्षों के दौरान परंपरागत स्रोतों से उत्पादित विद्युत की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) की राज्य-वार संस्थापित क्षमता तथा विगत तीन वर्षों के दौरान आरईएस से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-॥क तथा अनुबंध-॥ख में दिया गया है।

(ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद विद्युत का उत्पादन लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की प्रौद्योगिकीय-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में कुल 68766.15 मेगावाट की 70 ताप विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ऐसी परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

इस समय देश में कुल 11993.5 मेगावाट की 44 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ऐसी परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-IV में दिए गए हैं।

देश में 26160 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 44 अन्य जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) को सीईए ने सहमति प्रदान कर दी है, परंतु इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से अभी शुरू किया जाना है। इसके राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-Vक में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, देश में 6414 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 9 जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर हैं जिनकी सीईए की सहमति के लिए सीईए/सीडब्ल्यूसी/सीएसएमआरएस/एमओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर के विभिन्न मूल्यांकन समूहों में जांच की जा रही है। इसके राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-Vख में दिए गए हैं।

(ग) : इस समय कर्नाटक में कुल 1970 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

कर्नाटक में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	क्षेत्र/परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	यूनिट क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने की अनुमानित तिथि
केंद्रीय क्षेत्र					
1	कुडगी एसटीपीपी फेज-I	एनटीपीसी	यू-3	800	07/2017

राज्य क्षेत्र					
1	येलहंका सीसीपीपी	केपीसीएल	जीटी+एसटी	370	03/2018
2	येरमारुस टीपीपी	केपीसीएल	2	800	03/2017
			कुल	1970	

इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

- (i) सीईए बार-बार स्थल दौरे करके तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करके निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने तथा उनके समाधान के लिए विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारकों के साथ आवधिक रूप से समीक्षा बैठकें भी करता है।
- (ii) कठिनाइयों वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा अंतर-मंत्रालयी और अन्य शेष मुद्दों का तेजी से समाधान सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।
- (iii) जिन चल रही ताप विद्युत परियोजनाओं को 12वीं योजना अवधि के दौरान और उसके बाद चालू किए जाने का लक्ष्य है उनकी मॉनिटरिंग के लिए मुद्दों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग तथा समाधान हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना मॉनिटरिंग पैनल (पीपीएमपी) का गठन किया गया है।
- (iv) अपेक्षित होने पर मामले सकारात्मक शासन व्यवस्था तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए, प्रगति में भी उठाए जाते हैं।

अनुबंध-1

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य-वार और ईंधन-वार उत्पादन

क्षेत्र	राज्य	श्रेणी	ईंधन	28.02.2017 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता	विद्युत उत्पादन (एमयू)			
					2016-17 (फरवरी-17)*	2015-16	2014-15	2013-14
एनआर	बीबीएमबी	हाइड्रो	हाइड्रो	2866.30	9976.26	11818.90	10599.78	12125.01
	बीबीएमबी कुल			2866.30	9976.26	11818.90	10599.78	12125.01
	दिल्ली	थर्मल	कोयला	840.00	1703.15	2288.04	3704.75	4526.37
			प्राकृतिक गैस	2208.40	4184.73	3918.06	5018.08	4111.30
	दिल्ली कुल			3048.40	5887.88	6206.10	8722.83	8637.67
	हरियाणा	हाइड्रो	हाइड्रो	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		थर्मल	कोयला	5540.00	16852.71	21146.50	27177.18	24642.35
			प्राकृतिक गैस	431.59	927.33	1100.64	1571.43	1731.87
	हरियाणा कुल			5971.59	17780.04	22247.14	28748.61	26374.22
	हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	6757.02	25968.53	27087.49	23319.13	21680.66
	हिमाचल प्रदेश कुल			6757.02	25968.53	27087.49	23319.13	21680.66
	जम्मू व कश्मीर	हाइड्रो	हाइड्रो	3119.00	14151.57	15136.15	14485.02	12426.79
		थर्मल	हाई स्पीड डीजल	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जम्मू व कश्मीर कुल			3294.00	14151.57	15136.15	14485.02	12426.79
	पंजाब	हाइड्रो	हाइड्रो	1051.00	3319.43	4327.84	4039.07	3913.52
		थर्मल	कोयला	6540.00	21592.01	19015.05	18921.83	16817.97
	पंजाब कुल			7591.00	24911.44	23342.89	22960.90	20731.49
	राजस्थान	हाइड्रो	हाइड्रो	411.00	870.51	1033.80	863.33	1059.98
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1180.00	6707.08	8419.24	7722.39	9233.13
		थर्मल	कोयला	6260.00	30206.06	32882.92	32759.78	25777.92
			लिग्नाइट	1580.00	7480.63	8776.53	9089.71	6010.48
			प्राकृतिक गैस	1023.13	2026.69	2834.86	3750.71	3769.85
	राजस्थान कुल			10454.13	47290.97	53947.35	54185.92	45851.36
	उत्तर प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	501.60	1101.31	935.08	1247.69	1241.73
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	440.00	3047.08	3432.60	2890.54	2703.50
		थर्मल	कोयला	20383.00	103124.98	102450.54	103569.23	102705.93
			प्राकृतिक गैस	1493.14	2598.16	4511.31	4194.28	5191.85
	उत्तर प्रदेश कुल			22817.74	109871.53	111329.53	111901.74	111843.01
	उत्तराखंड	हाइड्रो	हाइड्रो	3756.35	12616.65	12765.92	11439.22	11025.01
		थर्मल	प्राकृतिक गैस	450.00	786.90	0.00	0.00	0.00
	उत्तराखंड कुल			4206.35	13403.55	12765.92	11439.22	11025.01
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	हाइड्रो	हाइड्रो	120.00	151.52	323.30	258.18	251.51
		थर्मल	कोयला	20308.00	95224.95	89189.99	79452.39	70678.61

	छत्तीसगढ़ कुल			20428.00	95376.47	89513.29	79710.57	70930.12
	गोवा	थर्मल	नाप्या	48.00	0.00	0.00	12.61	241.32
	गोवा कुल			48.00	0.00	0.00	12.61	241.32
	गुजरात	हाइड्रो	हाइड्रो	1990.00	3782.50	2951.85	3811.58	7106.29
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	440.00	0.00	2028.17	3529.40	3752.43
		थर्मल	कोयला	14432.00	72326.13	81254.47	84968.56	74375.30
			लिग्नाइट	1290.00	5537.07	6126.79	6258.01	5813.03
			प्राकृतिक गैस	7695.41	9544.46	12555.98	6970.99	6151.64
	गुजरात कुल			25847.41	91190.16	104917.26	105538.54	97198.69
	मध्य प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	2395.00	7058.57	4869.82	6299.75	9215.93
		थर्मल	कोयला	17065.00	82772.38	90870.68	68912.72	50430.94
	मध्य प्रदेश कुल			19460.00	89830.95	95740.50	75212.47	59646.87
	महाराष्ट्र	हाइड्रो	हाइड्रो	2887.00	5044.67	4700.37	5287.88	6255.03
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1400.00	9835.35	10389.14	10269.89	9884.54
		थर्मल	कोयला	23356.00	82694.17	96855.01	87035.78	72507.42
			प्राकृतिक गैस	3460.00	8622.34	5299.91	4715.66	6052.95
	महाराष्ट्र कुल			31103.00	106196.53	117244.43	107309.21	94699.94
एसआर	आंध्र प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	1150.00	898.98	671.33	1862.48	2026.57
		थर्मल	कोयला	10990.00	52254.39	52023.75	40821.87	38256.22
			डीजल	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			प्राकृतिक गैस	4880.40	5584.87	5535.51	2561.07	5244.06
	आंध्र प्रदेश कुल			17057.20	58738.24	58230.59	45245.42	45526.85
	कर्नाटक	हाइड्रो	हाइड्रो	3657.40	5678.30	7479.37	13160.29	13026.82
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	880.00	5961.92	7672.71	6462.17	6539.06
		थर्मल	कोयला	7080.00	27675.32	32401.17	30540.83	29774.22
			डीजल	153.12	0.00	0.00	0.00	24.41
	कर्नाटक कुल			11770.52	39315.54	47553.25	50163.29	49364.51
	केरल	हाइड्रो	हाइड्रो	1881.50	3661.57	6363.75	6852.65	7708.18
		थर्मल	डीजल	159.96	46.92	146.84	207.69	220.88
			नाप्या	533.58	15.40	142.75	973.83	1320.74
	केरल कुल			2575.04	3723.89	6653.34	8034.17	9249.80
	पुडुचेरी	थर्मल	प्राकृतिक गैस	32.50	224.95	227.59	102.14	256.97
	पुडुचेरी कुल			32.50	224.95	227.59	102.14	256.97
	तमिलनाडु	हाइड्रो	हाइड्रो	2203.20	2246.96	4474.27	5058.95	4994.75
		न्यूक्लियर	न्यूक्लियर	1440.00	8585.01	5471.76	5227.15	2115.13
		थर्मल	कोयला	9860.00	44270.82	44371.67	35818.52	28299.38
			डीजल	411.70	12.01	76.23	1045.97	1451.39
			लिग्नाइट	3240.00	18600.87	19341.12	20155.96	20416.18
			नाप्या	120.00	10.42	8.72	2.85	0.85
			प्राकृतिक गैस	897.18	2520.02	2663.06	4109.01	4933.02
	तमिलनाडु कुल			18172.08	76246.11	76406.83	71418.41	62210.70
	तेलंगाना	हाइड्रो	हाइड्रो	2766.60	1937.93	1515.47	4400.92	4502.16
		थर्मल	कोयला	6682.50	36813.52	35352.73	36501.05	34650.71
	तेलंगाना कुल			9449.10	38751.45	36868.20	40901.97	39152.87
ईआर	अंडमान व निकोबार	थर्मल	डीजल	40.05	184.97	182.85	153.76	171.49
	अंडमान व निकोबार कुल			40.05	184.97	182.85	153.76	171.49
	बिहार	हाइड्रो	हाइड्रो	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		थर्मल	कोयला	4535.00	22176.85	20827.01	18272.27	14939.36
	बिहार कुल			4535.00	22176.85	20827.01	18272.27	14939.36
	डीवीसी	हाइड्रो	हाइड्रो	143.20	246.06	176.51	267.30	225.63

		थर्मल	कोयला	7640.00	30167.58	27853.42	25283.81	27889.66
	डीवीसी कुल			7783.20	30413.64	28029.93	25551.11	28115.29
	झारखंड	हाइड्रो	हाइड्रो	130.00	30.13	51.24	33.73	109.53
		थर्मल	कोयला	2825.00	13616.46	15882.43	14588.15	14235.65
	झारखंड कुल			2955.00	13646.59	15933.67	14621.88	14345.18
	ओडिशा	हाइड्रो	हाइड्रो	2142.25	4560.10	4910.34	6919.49	7547.45
		थर्मल	कोयला	8880.00	46724.37	52311.46	44412.95	38664.74
	ओडिशा कुल			11022.25	51284.47	57221.80	51332.44	46212.19
	सिक्किम	हाइड्रो	हाइड्रो	1965.00	3980.47	3551.92	3345.29	2945.38
		थर्मल	डीजल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सिक्किम कुल			1965.00	3980.47	3551.92	3345.29	2945.38
	पश्चिम बंगाल	हाइड्रो	हाइड्रो	1278.00	2571.36	2025.33	2149.81	1395.56
		थर्मल	कोयला	9375.00	45198.09	44921.29	47592.21	44674.32
			हाई स्पीड डीजल	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पश्चिम बंगाल कुल			10733.00	47769.45	46946.62	49742.02	46069.88
एनईआर	अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	हाइड्रो	405.00	1200.35	1280.25	1109.48	980.94
	अरुणाचल प्रदेश कुल			405.00	1200.35	1280.25	1109.48	980.94
	असम	हाइड्रो	हाइड्रो	325.00	1423.83	1190.68	1031.89	1215.95
		थर्मल	कोयला	250.00	1517.71	117.12	0.00	0.00
			बहु ईंधन	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			प्राकृतिक गैस	614.45	2575.02	3214.32	3267.95	3149.27
	असम कुल			1249.45	5516.56	4522.12	4299.84	4365.22
	मणिपुर	हाइड्रो	हाइड्रो	105.00	707.70	536.64	372.44	639.84
		थर्मल	डीजल	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मणिपुर कुल			141.00	707.70	536.64	372.44	639.84
	मेघालय	हाइड्रो	हाइड्रो	332.00	890.27	1035.99	863.15	981.61
	मेघालय कुल			332.00	890.27	1035.99	863.15	981.61
	नागालैंड	हाइड्रो	हाइड्रो	75.00	254.55	163.14	165.15	245.71
	नागालैंड कुल			75.00	254.55	163.14	165.15	245.71
	त्रिपुरा	थर्मल	प्राकृतिक गैस	1132.10	5298.43	5109.38	3824.44	2366.49
	त्रिपुरा कुल			1132.10	5298.43	5109.38	3824.44	2366.49
आयात	भूटान (आयात)	हाइड्रो	हाइड्रो		5585.15	5244.21	5007.74	5597.90
	भूटान (आयात) कुल				5585.15	5244.21	5007.74	5597.90
सकल योग				265317.43	1057745.51	1107822.28	1048672.96	967150.34

* वास्तविक सह मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम

- टिप्पणी:
1. उत्पादन में 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के संयंत्रों (परंपरागत स्रोतों अर्थात केवल हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर से) का उत्पादन शामिल है।
 2. ऊपर दिए गए आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।
 3. उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (आरईएस) उत्पादन शामिल नहीं है।

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

31.12.2016 की स्थिति के अनुसार ग्रिड इंटरक्टिव नवीकरणीय विद्युत की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्षमता

सभी आंकड़े मेगावाट में

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वायु	सौर	बायोमास	बगासी	लघु जल विद्युत	कुल
1	चंडीगढ़		16.20			0.00	16.20
2	दिल्ली		38.78		16.00	0.00	54.78
3	हरियाणा		53.27	96.40		73.50	223.17
4	हिमाचल प्रदेश		0.33			798.81	799.14
5	जम्मू व कश्मीर		1.00			158.03	159.03
6	पंजाब		545.43	62.00	9.25	170.90	787.58
7	राजस्थान	4216.72	1317.64	119.25		23.85	5677.46
8	उत्तर प्रदेश		239.26	1933.11	5.00	25.10	2202.47
9	उत्तराखंड		45.10	72.72		209.33	327.15
10	छत्तीसगढ़		135.19	228.50		76.00	439.69
11	गोवा		0.05			0.05	0.10
12	गुजरात	4441.57	1158.50	65.30		16.60	5681.97
13	मध्य प्रदेश	2288.60	840.35	92.53	3.90	86.16	3311.54
14	महाराष्ट्र	4666.03	430.46	1967.85	12.72	346.18	7423.24
15	दादरा एवं नागर हवेली		0.60			0.00	0.60
16	दमन व दीव		4.00			0.00	4.00
17	आंध्र प्रदेश	2092.50	979.65	378.20	58.16	241.98	3750.49
18	तेलंगाना	98.70	973.41	158.10		0.00	1230.21
19	कर्नाटक	3154.20	327.53	1401.08	1.00	1220.73	6104.54
20	केरल	43.50	15.86			205.02	264.38
21	तमिलनाडु	7694.33	1590.97	889.40	8.05	123.05	10305.80
22	लक्षद्वीप		0.75			0.00	0.75
23	पुडुचेरी		0.03			0.00	0.03
24	अंडमान व निकोबार		5.40			5.25	10.65
25	बिहार		95.91	92.50		70.70	259.11
26	झारखंड		17.51			4.05	21.56
27	ओडिशा		77.64			64.63	142.27
28	सिक्किम		0.01			52.11	52.12
29	पश्चिम बंगाल		23.07	300.00		98.50	421.57
30	अरुणाचल प्रदेश		0.27			104.61	104.87
31	असम		11.18			34.11	45.29
32	मणिपुर		0.01			5.45	5.46
33	मेघालय		0.01			31.03	31.04
34	मिजोरम		0.10			41.47	41.57
35	नागालैंड		0.50			30.67	31.17
36	त्रिपुरा		5.02			16.01	21.03
37	अन्य	4.30	61.70			0.00	66.00
	कुल	28700.45	9012.68	7856.94	114.08	4333.87	50018.02

स्रोत: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014-15 के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन (सीईए में प्राप्त की गई सूचना के आधार पर, अनंतिम)								(सभी आंकड़े एमयू में)	
क्रम सं.	राज्य/यूटिलिटी	वायु	सौर	बायोमास	बगासी	लघु जल विद्युत	अन्य	कुल	
1	चंडीगढ़	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	
2	दिल्ली	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	113.44	116.63	
3	हरियाणा	0.00	10.36	111.71	67.65	280.96	0.00	470.69	
4	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1685.08	0.00	1685.08	
5	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23	0.00	313.23	
6	पंजाब	0.00	129.89	347.23	138.64	543.53	0.00	1159.29	
7	राजस्थान	4053.85	1259.19	278.24	0.00	5.30	0.00	5596.57	
8	उत्तर प्रदेश	0.00	20.13	89.17	2823.19	30.30	177.91	3140.70	
9	उत्तराखंड	0.00	11.63	0.00	87.50	565.25	0.00	664.38	
10	एनटीपीसी (दादरी, फरीदाबाद और ऊंचाहार)	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	
11	ऑयल इंडिया लि.	117.78	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	126.93	
12	छत्तीसगढ़	0.00	13.54	1044.35	0.00	8.40	0.00	1066.29	
13	एनटीपीसी राजगढ़	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	62.94	
14	गुजरात	5660.09	1474.56	40.48	0.00	47.13	0.00	7222.27	
15	मध्य प्रदेश	592.25	562.29	74.13	0.00	196.71	2.13	1427.51	
16	महाराष्ट्र	6804.80	349.32	163.53	2690.18	275.82	0.28	10283.93	
17	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
18	दमन व दीव	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	
19	आंध्र प्रदेश	1675.82	159.77	313.35	273.30	274.61	14.20	2711.06	
20	तेलंगाना	0.00	138.12	161.23	378.40	60.43	64.68	802.86	
21	कर्नाटक	4658.10	100.39	208.15	2882.51	1845.75	0.00	9694.90	
22	केरल	58.40		0.71	0.00	570.53	0.00	629.64	
23	एनटीपीसी रामागुंडम	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62	
24	तमिलनाडु	10147.06	158.75	325.60	1044.19	226.81	0.00	11902.39	
25	लक्षद्वीप	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	40.96	46.09	
26	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47	
27	बिहार	0.00	0.00	1.97	178.14	29.01	0.00	209.13	
28	झारखंड	0.00	8.32	0.00	0.00		0.00	8.32	
29	ओडिशा	0.00	44.94	0.00	0.00	284.88	0.00	329.82	
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	20.88	0.00	20.88	
31	पश्चिम बंगाल	0.16	7.07	0.00	1220.97	325.43	0.00	1553.63	
32	डीवीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	146.86	0.00	146.86	
33	एनटीपीसी (अंडमान व तालचर)	0.00	18.79	0.00	0.00		0.00	18.79	
34	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94	
35	असम	0.00	9.65	0.00	0.00	54.87	0.00	64.52	
36	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	66.94	0.00	66.94	
38	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86	0.00	34.86	
39	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	84.14	0.00	84.14	
40	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37	0.00	29.37	
41	नीपको	0.00	0.98	0.00	0.00		0.00	0.98	
	कुल	33768.30	4599.02	3159.85	11784.66	8059.50	413.60	61784.93	

वर्ष 2015-16 के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन

(सीईए में प्राप्त की गई सूचना के आधार पर, अनंतिम)

क्रम सं.	राज्य/यूटिलिटी	वायु	सौर	बायोमास	बगसी	लघु जल विद्युत	(सभी आंकड़े एमयू में)	
							अन्य	कुल
1	चंडीगढ़	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2	दिल्ली	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	124.87	128.97
3	हरियाणा	0.00	114.96	170.86	64.69	992.65	0.00	1343.15
4	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1921.77	0.00	1921.77
5	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	304.79	0.00	304.79
6	पंजाब	0.00	380.57	408.66	194.88	490.08	0.00	1474.20
7	राजस्थान	4583.59	1766.10	245.49	0.00	5.06	0.00	6600.24
8	उत्तर प्रदेश	0.00	89.75	190.19	2839.11	29.73	52.71	3201.49
9	उत्तराखंड	0.00	5.87	0.00	91.86	605.69	0.00	703.42
10	एनटीपीसी (दादरी, फरीदाबाद, ऊंचाहार और सिंगरौली)	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	42.41
11	ऑयल इंडिया लि.	183.77	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	193.67
12	छत्तीसगढ़	0.00	52.70	1119.32	0.00	30.41	0.00	1202.42
13	एनटीपीसी राजगढ़	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
14	गुजरात	6446.58	1497.60	23.28	0.00	36.27	0.00	8003.73
15	मध्य प्रदेश	1558.43	1105.28	125.83	0.00	118.54	2.34	2910.42
16	महाराष्ट्र	6121.34	638.76	303.66	3129.75	562.77	0.30	10756.58
17	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
18	दमन व दीव	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
19	आंध्र प्रदेश	2013.04	282.67	424.64	274.64	103.10	8.52	3106.61
20	तेलंगाना	0.00	402.51	180.06	316.84	48.69	79.80	1027.90
21	कर्नाटक	4797.95	187.69	201.17	3390.75	1483.48	0.00	10061.03
22	केरल	51.45	7.38	5.35	67.61	486.99	0.00	618.78
23	एनटीपीसी रामागुंडम	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
24	तमिलनाडु	7273.23	507.18	308.21	1028.84	214.02	0.00	9331.47
25	लक्षद्वीप	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
26	अंडमान व निकोबार	0.00	6.26	0.00	0.00	12.46	0.00	18.72
27	बिहार	0.00	6.39	0.00	110.02	48.69	0.00	165.11
28	झारखंड	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77
29	ओडिशा	0.00	150.73	20.48	0.00	263.24	0.00	434.45
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	41.93	0.00	41.93
31	पश्चिम बंगाल	0.00	6.28	0.00	1444.30	157.57	0.00	1608.15
32	डीवीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	118.26	0.00	118.26
33	एनटीपीसी (अंडमान व तालचर)	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91
34	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.22	0.00	0.00	18.22	0.00	18.44
35	असम	0.00	31.60	0.00	0.00	59.34	0.00	90.94
36	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	65.96	0.00	65.96
38	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	0.00	27.62
39	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	88.73	0.00	88.73
40	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	0.00	18.47
41	नीपको	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
	कुल	33029.39	7447.92	3727.21	12953.29	8354.51	268.53	65780.85

अप्रैल, 2016 से फरवरी, 2017 की अवधि के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन

(सीईए में प्राप्त की गई सूचना के आधार पर, अनंतिम)

क्रम सं.	राज्य/यूटिलिटी	वायु	सौर	बायोमास	बगसी	लघु जल विद्युत	(सभी आंकड़े एमयू में)	
							अन्य	कुल
1	चंडीगढ़	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82
2	दिल्ली	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	118.17	122.42
3	हरियाणा	0.00	15.99	172.85	6.38	225.21	0.00	420.42
4	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	1968.75	0.00	1968.75
5	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.49	0.00	0.00	299.02	0.00	299.51
6	पंजाब	0.00	756.19	483.03	171.39	385.16	72.03	1867.80
7	राजस्थान	5210.54	1924.06	243.54	0.00	5.34	0.00	7383.47
8	उत्तर प्रदेश	0.00	194.60	145.39	2640.57	24.77	69.30	3074.63
9	उत्तराखंड	0.00	28.26	0.00	67.79	751.25	0.00	847.29
10	एनटीपीसी (दादरी, फरीदाबाद, उंचाहार, सिंगरौली और भदला)	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73
11	ऑयल इंडिया लि.	185.94	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	207.14
12	छत्तीसगढ़	0.00	108.85	1154.00	0.00	41.27	0.00	1304.12
13	एनटीपीसी राजगढ़	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02
14	गुजरात	7129.44	1561.84	10.08	0.00	23.62	0.00	8724.98
15	मध्य प्रदेश	3266.90	1217.73	82.98	0.00	209.17	22.64	4799.42
16	महाराष्ट्र	7195.61	517.48	520.94	1916.15	523.68	0.20	10674.06
17	दादरा व नागर हवेली	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
18	दमन व दीव	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
19	आंध्र प्रदेश	2991.45	1392.06	316.97	155.67	155.75	6.67	5018.57
20	तेलंगाना	197.11	1123.31	157.87	169.47	49.47	31.10	1728.33
21	कर्नाटक	5764.68	426.24	143.91	1220.82	1574.33	93.77	9223.74
22	केरल	69.85	23.67	44.43	16.58	374.73	0.00	529.25
23	एनटीपीसी (रामागुंडम व अनंतपुरम)	0.00	311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	311.68
24	तमिलनाडु	11634.38	1674.74	322.14	815.55	91.36	0.00	14538.17
25	लक्षद्वीप	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
26	पुडुचेरी	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
27	अंडमान व निकोबार	0.00	5.65	0.00	0.00	13.24	0.00	18.89
28	बिहार	0.00	94.86	0.00	122.84	21.33	0.00	239.04
29	झारखंड	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
30	ओडिशा	0.00	185.23	57.85	0.00	225.96	0.00	469.04
31	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88	0.00	35.88
32	पश्चिम बंगाल	0.00	13.22	0.00	1310.33	104.79	0.00	1428.34
33	डीवीसी	0.00	0.01	0.00	0.00	130.75	0.00	130.76
34	एनटीपीसी (अंडमान व तालचर)	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
35	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.13	0.00	0.00	13.43	0.00	13.56
36	असम	0.00	42.39	0.00	0.00	80.08	0.00	122.47
37	मणिपुर	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
38	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	57.08	0.00	57.08
39	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19	0.00	47.19
40	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	88.99	0.00	88.99
41	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	43.04	0.00	43.04
42	नीपको	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
	कुल	43645.88	11855.00	3855.97	8613.54	7564.65	413.89	75949.27

टिप्पणी 1) सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

2) विद्युत विभाग से या संबंधित राज्यों के एसएलडीसी से प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार।

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

कर्नाटक सहित देश में लंबित निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी/ईपीसी या बीटीजी	एलओए तिथि	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची
	केंद्रीय क्षेत्र						
1	असम	बोंगाईगांव टीपीपी/एनटीपीसी/भेल	फर.-08	यू-3	250	सितं.-11	जून-17
2	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-1/एनटीपीसी/अन्य	मार्च-05	यू-1	660	मई-17*	मई-17
				यू-2	660	नवं.-17*	नवं.-17
				यू-3	660	मई-18*	मई-18
3	बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी (कांती) एक्सपें./एनटीपीसी और बीएसईबी का जेवी/भेल	अप्रैल-10	यू-4	195	जन.-13	मार्च-17
4	बिहार	नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और रेलवे का जेवी/भेल	जन.-08	यू-2	250	मई-13	मार्च-17
				यू-3	250	अग.-13	जुला.-17
				यू-4	250	नवं.-13	अक्टू.-17
5	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी/एनटीपीसी और बीएसपीजीसीएल टीजी-एल्सटॉम और भारत फोर्ज, एसजी-भेल का जेवी	जन.-13	यू-1	660	जन.-17	जून-17
				यू-2	660	जुला.-17	दिसं.-17
				यू-3	660	जन.-18	जून-18
6	छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-दूसन टीजी-बीजीआर हिटाची	दिसं.-12	यू-1	800	दिसं.-16	मार्च-17
				यू-2	800	जून-17	सितं.-17
7	झारखंड	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी/एनटीपीसी/भेल	फर.-14	यू-1	660	फर.-18	फर.-19
				यू-2	660	अग.-18	अग.-19
				यू-3	660	फर.-19	फर.-20
8	कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी फेज-1/एनटीपीसी/एसजी-दूसन टीजी-तोशीबा	फर.-12	यू-3	800	जन.-17	अग.-17
9	महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-बीजीआर और हिटाची टीजी-एल्सटॉम और भारत फोर्ज	अप्रैल-12	यू-1	660	मई-16	मार्च-17
				यू-2	660	नवं.-16	अग.-17
10	मध्य प्रदेश	गदरवारा टीपीपी/एनटीपीसी/बीटीजी-भेल	मार्च-13	यू-1	800	मार्च-17	जून-17
				यू-2	800	सितं.-17	दिसं.-17
11	मध्य प्रदेश	खरगोन टीपीपी/एनटीपीसी/बीटीजी-एलएंडटी	मार्च-15	यू-1	660	मार्च-19	मार्च-19
				यू-2	660	सितं.-19	सितं.-19
12	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी/एनटीपीसी/एसजी-भेल टीजी-जेएसडब्ल्यू और तोशीबा	फर.-14	यू-1	800	फर.-18	फर.-18
				यू-2	800	जून-18	जून-18
13	तेलंगाना	तेलंगाना फेज-1/एनटीपीसी/एसजी-भेल टीजी-एल्सटॉम और भारत फोर्ज	फर.-16	यू-1	800	जन.-20	जन.-20
				यू-2	800	जुला.-20	जुला.-20
14	तमिलनाडु	नैवेली न्यू टीपीपी/एनएलसी/भेल	दिसं.-13	यू-1	500	जून-15	नवं.-17
				यू-2	500	दिसं.-15	मई-18
15	उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार-IV/एनटीपीसी/एनबीपीपीएल/भेल	अग.-13	यू-6	500	दिसं.-16	मार्च-17
16	उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी/एनटीपीसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी/एसजी-बीजीआर टीजी-तोशीबा	अप्रैल-12	यू-1	660	जून-16	मार्च-17
				यू-2	660	दिसं.-16	अक्टू.-17

17	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी/एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी/एमएचपीएस बॉयलर प्रा. लि.	अग.-16	यू-1	660	फर.-21	फर.-21
				यू-2	660	अग.-21	अग.-21
				यू-3	660	फर.-22	फर.-22
18	उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी/एनटीपीसी/एसजीःएलएंडटी/टीजीः एल्सटॉम	सितं.-14	यू-1	660	सितं.-18	सितं.-18
				यू-2	660	मार्च-19	मार्च-19
कुल केंद्रीय क्षेत्र					23095		
राज्य क्षेत्र							
1	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.- V/एपजैको/बीटीजी-भेल	अक्टू.-15	यू-1	800	जून-19	जून-19
2	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.- II/एपजैको/बीटीजी-भेल	नव.-15	यू-1	800	मार्च-19	मार्च-19
3	आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV/एपजैको/बीटीजी-भेल	अक्टू.-10	यू-6	600	जुला.-14	जून-17
4	असम	नामरूप सीसीजीटी/एपीजीसीएल/भेल	फर.-09	ST	36.15	जन.-12	सितं.-17
5	बिहार	बरौनी टीपीएस एक्सटें./बीएसईबी/बीटीजी-भेल	मार्च-11	यू-8	250	मई-14	जुला.-17
				यू-9	250	जुला.-14	दिसं.-17
6	गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी/बीईसीएल/बीटीजी- भेल	मार्च-10	यू-2	250	दिसं.-13	मार्च-17
7	गुजरात	वानकबोरी टीपीएस एक्सटें./जीएसईसीएल एसजी-एल्सटॉम टीजी-सीमेंस	अक्टू.-14	यू-8	800	अक्टू.-18	अक्टू.-18
8	कर्नाटक	येरमारस टीपीपी/केपीसीएल बीटीजी-भेल	अप्रैल-10	यू-2	800	अक्टू.-14	मार्च-17
9	कर्नाटक	केपीसीएल द्वारा येलहांका सीसीपीपी	नव.-15	यू-1	370	मार्च-17	मार्च-18
10	मध्य प्रदेश	श्री सिंघाजी टीपीपी स्टे.-II/एमपीजैको बीटीजी- एलएंडटी	सितं.-14	यू-3	660	जुला.-18	जुला.-18
				यू-4	660	नव.-18	नव.-18
11	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजीसीएल बीटीजी-भेल	मार्च-14	यू-3	660	अग.-17	मार्च-18
				यू-4	660	जन.-18	मई-18
12	राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें./आरआरवीयूएनएल/ एलएंडटी-एमएचआई	मार्च-13	यू-5	660	जून-16	मार्च-17
				यू-6	660	जून-18	दिसं.-18
13	राजस्थान	सूरतगढ़ एससीटीपीपी/आरआरवीयूएनएल/भेल	मई-13	यू-7	660	सितं.-16	मार्च-17
				यू-8	660	दिसं.-16	अप्रैल-17
14	तेलंगाना	कोथागुडेम टीपीएस स्टे.-VIII/टीएसजैको बीटीजी- भेल	जन.-15	यू-1	800	नव.-17	जुला.-18
15	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैको/ भेल	मार्च-15	यू-1	270	फर.-17	दिसं.-17
				यू-2	270	अप्रैल-17	फर.-18
				यू-3	270	जून-17	मई-18
				यू-4	270	अग.-17	अग.-18
16	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी (लैंको)/टांजैडको बीटीजी-लैंको	मई-14	यू-1	660	जन.-18	सितं.-18
17	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी/टांजैडको/भेल	सितं.-14	यू-1	660	जन.-18	सितं.-18
				यू-2	660	मार्च-18	मार्च-19
18	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III टांजैडको/भेल	जन.-16	यू-1	800	जुला.-19	जुला.-19
19	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी टांजैडको/भेल	फर.-16	यू-1	800	NA	NA
				यू-2	800	NA	NA
20	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें.- II/यूपीआरवीयूएनएल/तोशीबा जेएसडब्ल्यू	सितं.-15	यू-1	660	जून-19	जून-19
कुल राज्य क्षेत्र					17156.2		
निजी क्षेत्र							
1	आंध्र प्रदेश	भवानापडु टीपीपी फेज-I/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि. बीटीजी-चाइनीज	सितं.-09	यू-1	660	अक्टू.-13	दिसं.-17*
				यू-2	660	मार्च-14	मई-18*
2	आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	दिसं.-09	यू-3	350	मई-12	दिसं.-17
				यू-4	350	अग.-12	मार्च-18

3	बिहार	जस इंफ्रा. टीपीपी/जेआईसीपीएल बीटीजी-चाइनीज	मार्च-11	यू-1	660	अग.-14	अनिश्चित*
				यू-2	660	दिसं.-14	अनिश्चित*
				यू-3	660	अप्रैल-15	अनिश्चित*
				यू-4	660	अग.-15	अनिश्चित*
4	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीपी (नैयारा)/केएसके महानदी पावर कंपनी लि./चाइनीज	अप्रैल-09	यू-3	600	दिसं.-12	मई-17
				यू-4	600	अप्रैल-13	अग.-17
				यू-5	600	अग.-13	मार्च-18
				यू-6	600	दिसं.-13	जून-18
5	छत्तीसगढ़	बिंकोट टीपीपी/एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-हरबिन चीन	मार्च-11	यू-1	300	अग.-13	मार्च-17
				यू-2	300	नव.-13	जून-17
				यू-3	300	फर.-14	अनिश्चित
				यू-4	300	मई-14	अनिश्चित
6	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II/लैप प्रा. लि. बीटीजी-डीईसी	नव.-09	यू-3	660	जन.-13	अप्रैल-17
				यू-4	660	मार्च-13	सितं.-17
7	छत्तीसगढ़	सिंघीतराई टीपीपी/एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि. बीटीजी-डीईसीएल	दिसं.-09	यू-1	600	जून-14	अप्रैल-17
				यू-2	600	सितं.-14	सितं.-17
8	छत्तीसगढ़	नवापारा टीपीपी/टीआरएन एनर्जी प्रा. लि./चाइनीज	जन.-11	यू-2	300	अप्रैल-14	मार्च-17
9	छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी/आरकेएम पावरजेन. प्रा. लि./एसजी-चीन वेस्टर्न टीजी-हरबिन चीन	जुला.-07	यू-3	360	फर.-13	मार्च-17
				यू-4	360	जुला.-13	मई-17
10	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी/वंदना विद्युत/बीटीजी-सेथर वेसेल्स	सितं.-09	यू-2	135	सितं.-11	अनिश्चित*
11	छत्तीसगढ़	देवेरी (वीसा) टीपीपी/वीसा पावर लि. बीटीजी-भेल	जून-10	यू-1	600	अग.-13	अनिश्चित*
12	झारखंड	मैत्रिणी उषा टीपीपी फेज-I/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	दिसं.-09	यू-1	270	मई-12	17-18*
				यू-2	270	जून-12	18-19*
13	झारखंड	मैत्रिणी उषा टीपीपी फेज-II/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	मार्च-11	यू-3	270	फर.-13	अनिश्चित*
				यू-4	270	मार्च-13	अनिश्चित*
14	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-I/एस्सार पावर लि. बीटीजी-चीन	अग.-08	यू-1	600	जुला.-12	अनिश्चित*
				यू-2	600	सितं.-12	अनिश्चित*
15	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-II/एस्सार पावर लि.		यू-3	600	दिसं.-15	अनिश्चित*
16	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	अक्टू.-10	यू-1	270	जुला.-14	20-21 *
				यू-2	270	सितं.-14	21-22 *
				यू-3	270	नव.-14	21-22 *
				यू-4	270	जन.-15	21-22 *
				यू-5	270	मार्च-15	21-22 *
17	महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी/एलवीपी प्रा. लि. ईपीसी-लैंको	नव.-09	यू-1	660	जन.-14	जून-17
				यू-2	660	मई-14	सितं.-17
18	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	नव.-09	यू-3	270	जून-12	मार्च-17
				यू-4	270	अग.-12	अप्रैल-17
				यू-5	270	अक्टू.-12	जून-17
19	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II/रत्न इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भेल	नव.-09	यू-1	270	अप्रैल-13	अनिश्चित
				यू-2	270	जून-13	अनिश्चित
				यू-3	270	अग.-13	अनिश्चित
				यू-4	270	अक्टू.-13	अनिश्चित
				यू-5	270	दिसं.-13	अनिश्चित
20	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी/जिनभुविश पावर जेनरेशन प्रा. लि./बीटीजी-चाइनीज	सितं.-11	यू-1	300	दिसं.-16	18-19*
				यू-2	300	मार्च-17	18-19*
21	महाराष्ट्र	शीरपुर पावर प्रा. लि.	नव.-11	यू-1	150	फर.-15	मार्च-17
				यू-2	150	अप्रैल-15	अप्रैल-17

22	मध्य प्रदेश	महान टीपीपी/एस्सार पावर एमपी लि./चाइनीज	सितं.-08	यू-2	600	जून-15	मार्च-17
23	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी/डी.बी. पावर (एमपी) लि. बीटीजी-भेल	मार्च-11	यू-1	660	जून-13	अनिश्चित
24	मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी/बीएलए पावर लि./भेल-सीमेंस	अप्रैल-11	यू-2	45	अप्रैल-14	17-18*
25	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)/इंड बराथ/बीटीजी- सेथर वेसेल्स	मई-09	यू-2	350	दिसं.-11	मार्च-17
26	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी/केवीके नीलांचल/ बीटीजी-हरबिन चीन	नवं.-09	यू-1	350	दिसं.-11	अनिश्चित*
				यू-2	350	जन.-12	अनिश्चित*
				यू-3	350	मार्च-12	अनिश्चित*
27	ओडिशा	लैंको बाबंध टीपीपी/एलबीपी लि./बीटीजी- चाइनीज	नवं.-09	यू-1	660	अप्रैल-13	फर.-18
				यू-2	660	अग.-13	अग.-18
28	ओडिशा	मलीब्राह्मणी टीपीपी/एमपीसीएल/बीटीजी-भेल	जून-10	यू-1	525	दिसं.-12	17-18*
				यू-2	525	फर.-13	18-19*
29	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ)/आईबीपीआईएल/ बीटीजी-चाइनीज	मई-10	यू-1	660	मई-12	18-19*
30	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV/एसईपीसी/ईपीसी- एमईआईएल (बीटीजी-भेल)	जन.-14	यू-1	525	सितं.-18	सितं.-18
31	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी/पीपीजेको/एसजी-भेल एल्सटॉम टीजी-भेल-सीमेंस	अक्टू.-09	यू-3	660	दिसं.-14	मई-17
32	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर टीपीपी/हल्दिया एनर्जी लि./ बीटीजी-भेल.	सितं.-10	यू-1	150	नवं.-15	मार्च-17
				यू-2	150	फर.-16	अक्टू.-17
				यू-3	150	मई-16	फर.-18
कुल निजी क्षेत्र					28515		
सकल योग					68766.15		

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची - राज्य-वार					
(28.02.2017 की स्थिति के अनुसार)					
क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षणता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की नवीनतम अनुसूची
आंध्र प्रदेश					
1	पोलावरम (पीपीए)	राज्य	12x80	960.00	2021-22 ##
उप-जोड़: आंध्र प्रदेश				960.00	
अरुणाचल प्रदेश					
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2017-18
3	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00	2017-18
4	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2020-21*
5	गोंगरी (दिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00	2020-21*
उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश				2854.00	
हिमाचल प्रदेश					
6	पारबती स्टे.-II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2018-19
7	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00	2017-18
8	स्वारा कुड्डू (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00	2018-19
9	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00	2016-17
10	शोंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2019-20
11	कशांग-II व III (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x65	65.00	2019-20*
12	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00	2019-20
13	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00	2017-18*
14	टंगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00	2018-19*
15	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	100.00	2018-19*
16	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	3x12	12.00	2016-17
उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश				2062.00	
जम्मू व कश्मीर					
17	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00	2017-18
18	परनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	3x12.5	37.50	2020-21
19	लोअर कलनई (जेकेएसपीडीसी)	राज्य	2x24	48.00	2020-21*
20	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	2021-22*
उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर				1265.50	
केरल					
21	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00	2019-20*
22	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00	2019-20*
उप-जोड़: केरल				100.00	
मध्य प्रदेश					
23	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00	2017-19*

	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			400.00	
	महाराष्ट्र				
24	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, एमएएच)	राज्य	2x40	80.00	2019-20*
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			80.00	
	मेघालय				
25	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	2x20	40.00	2016-18
	उप-जोड़: मेघालय			40.00	
	मिजोरम				
26	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00	2017-18
	उप-जोड़: मिजोरम			60.00	
	पंजाब				
27	शाहपुरकंडी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00	2019-20*
	उप-जोड़: पंजाब			206.00	
	सिक्किम				
28	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00	2019-20
29	दिकचू (स्नेह काइनेटिक)	निजी	2x48	96.00	2016-17
30	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2019-20*
31	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00	2019-20#
32	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2019-20
33	ताशिडिंग (शीघा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00	2016-17
34	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00	2021-22*
35	पन्नन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2020-21*
	उप-जोड़: सिक्किम			1326.00	
	तेलंगाना				
36	पुलीचिंताला (टीएसजैको)	राज्य	4x30	90.00	2016-18
	उप-जोड़: तेलंगाना			90.00	
	उत्तराखंड				
37	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2021-22*
38	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2019-20
39	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2019-20
40	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2019-20
41	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00	2018-19
42	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00	2019-20 #
43	सिंगोली भटवारी (एलएंडटी)	निजी	3x33	99.00	2019-20 #
	उप-जोड़: उत्तराखंड			2430.00	
	पश्चिम बंगाल				
44	रम्मम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2020-21
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			120.00	
	कुल:			11993.50	
*	कार्य के पुनः शुरु होने से संबद्ध				
#	कार्य के तेजी से शुरु होने से संबद्ध				
##	ईएंडएम कार्यों को अवाई करने से संबद्ध				

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत स्कीमें, जिन्हें सीईए द्वारा सहमति दी गई तथा निर्माण अभी शुरू किया जाना है

(27.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

श्रेणी-I: पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति मामलों के कारण लंबित

(क) पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गई और वन स्वीकृति प्रतीक्षित

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र/राज्य	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (₹. करोड़ में) पीएल	सीईए सहमति की तारीख	निर्माण अवधि (शून्य तिथि)	टिप्पणियां
1.	मियार/निजी/हिमाचल प्रदेश	एमएचपीसीएल	120	1125.16*	07.02.2013	110 माह (05/13)	30.07.2013 को ईसी दी गई। एफसी-I 27.07.2013 को दी गई। निधि की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है। एफसी-II प्रतीक्षित है। वित्तीय बंदी प्रक्रिया में है।
2.	रूपसिया बागर खसिया बारा/केंद्रीय/उत्तराखंड	एनटीपीसी	261	1715.15 (05/08)	16.10.08	64 माह (12/09)	26.03.09 को ईसी दी गई। वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
3.	तीस्ता स्टे.-IV/केंद्रीय/सिक्किम	एनएचपीसी	520	3594.74 (07/09)	13.05.10	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 74 महीने	09.01.14 को ईसी दी गई। 26.02.2013 को एफसी चरण-I प्राप्त की गई। एफसी चरण-II प्रतीक्षित है।
4.	डिबिन/निजी/अरुणाचल प्रदेश	केएसकेडीएचपीएल	120	728.54*	04.12.09	48 माह (10/10)	23.07.12 को ईसी दी गई। 7.2.2012 को एफसी चरण-I दी गई एवं एफसी चरण-II प्रतीक्षित है।
5.	नियामजंग छू/निजी/अरुणाचल प्रदेश	बीईएल	780	6115.6*	24.03.11	62 माह (01/12)	19.4.12 को ईसी दी गई। 9.4.2012 को एफसी-I दी गई एवं एफसी-II प्रतीक्षित है।
6.	तवांग चरण-I/केंद्रीय/अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	600	4824.01 (5/10)	10.10.11	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 78 महीने	10.6.11 को ईसी दी गई। वन स्वीकृति प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को 21.08.11 को अद्योषित किया गया। एफसी-I और II प्रतीक्षित है।
7.	टाटो-II/निजी/अरुणाचल प्रदेश	टीएचपीपीएल	700	5616.20 *	22.5.12	72 माह (01/12)	27.6.11 को ईसी दी गई। एफसी सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव आकलन अध्ययन से जुड़ा है जिसे एमओईएफ द्वारा करवाया गया है तथा स्वीकृत किया गया है।
8.	तवांग स्टे.-II/केंद्रीय/अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	800	6112.3 (05/10)	22.09.11	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 83 महीने	10.06.11 को ईसी दी गई। एफसी-I 8.01.14 को दी गई। एफसी-II प्रतीक्षित है।

9.	सियोम/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	1000	12100	17.12.13	78 माह (01/15)	31.03.08 को ईसी दी गई। एफसी प्रतीक्षित है। एफसी सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव आकलन अध्ययन से जुड़ा है जिसे एमओईएफ द्वारा करवाया गया है तथा स्वीकृत किया गया है।
10.	कलई-II/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	कलई पीपीएल	1200	14199.64*	27.3.15	87 माह (01/15)	ईसी 20.5.15 को दी गई। एफसी प्रतीक्षित है।
11.	हियो/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एचएचपीपीएल	240	1614.35	28.07.15	50 माह (09/16)	ईसी 31.03.15 को दी गई। पत्र अभी जारी किया जाना है। एफसी-I 27.10.15 को दी गई। एफसी-II प्रतीक्षित है।
12.	टाटो-I/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एसएचपीपीएल	186	1493.55	28.10.15	50 माह (01.11.16)	ईसी 10.11.15 को दी गई। एफसी-I 27.10.15 को दी गई। एफसी-II प्रतीक्षित है।
13.	टलॉग लॉडा/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	जीएमआर	225	2172.88*	16.08.13	60 माह (11/14)	ईसी 07.08.2015 को दी गई और एफसी प्रतीक्षित है।
	उप-जोड़		6752				

(ख) पर्यावरणीय और वन स्वीकृति दोनों प्रतीक्षित

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र/ राज्य	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) पीएल	सीईए सहमति की तारीख	निर्माण अवधि (शून्य तिथि)	टिप्पणियां
14.	दिखु/निजी/ नागालैंड	एनएमपीपीएल	186	1994.74*	31.03.14	52 माह (01/16)	चूंकि वनभूमि शामिल नहीं है। अतः वन स्वीकृति लागू नहीं। ईसी प्रतीक्षित है।
15.	चांगो यांगथांग/निज/ हिमाचल प्रदेश	एमपीसीएल	180	2077.294*	31.03.14	58 माह (04/15)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
16.	छतरु/निजी/ हिमाचल प्रदेश	डीएससी	126	1386.08*	15.1.15	75 माह (06/17)	24.02.15 को एमओईएफ द्वारा ईसी अनुमोदित की गई है, चरण-I वन स्वीकृति को प्रस्तुत करने के पश्चात् पत्र जारी किया जाएगा। एफसी प्रतीक्षित है।
17.	देवसारी/ केंद्रीय/ उत्तराखंड	एसजेवीएनएल	252	1558.84 (06/10)	07.08.12/ 06.08.17 तक पुनःवैधकीकरण	60 माह (01/13)	ईसी की सिफारिश के लिए ईएसी बैठक 27.12.2011 को आयोजित की गई। एफसी के पश्चात् पत्र जारी किया जाएगा।
18.	मतनार/राज्य/ छत्तीसगढ़	सीएसपीसीपीएल	60	313.35 (03/04)	19.08.04		ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
19.	लोअर सियांग/ निजी/अरुणाचल प्रदेश	जेएवीएल	2700	19990.74*	16.02.10	114 माह (01/11)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
20.	हीरॉग/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	जेएपीएल	500	5532.63*	10.04.13	78 माह (01/14)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है। वन स्वीकृति सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव निर्धारण अध्ययन से जुड़ी है जिसे एमओईएफ द्वारा करवाया गया है तथा स्वीकृत किया गया है।
21.	इटालिन/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	ईएचईपीसीएल	3097	25296.95*	12.07.13	84 माह (10/14)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
22.	नैईंग/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एनडीएससीपीएल	1000	9301.11	11.09.13	72 माह (01/15)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है। वन स्वीकृति सियांग बेसिन के संचयी प्रभाव निर्धारण अध्ययन से जुड़ी है।
23.	क्यांशी-I/निजी/ मेघालय	एकेपीपीएल	270	3154.37 09/2015	31.3.2015	60 माह (09/16)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
24.	लोअर	एपीजीसीएल	120	1115.91	24.05.16	48 माह	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।

	कोपिली/राज्य/असम			1/2015		(02/16)	
25.	टुर्गा पीएसएस/ राज्य/डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबीएसपीसीएल	1000	4234.90 12/2014	04.08.16**	63 माह (10/17)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
26.	सेली/निजी/ हिमाचल प्रदेश	एसएचपीसीएल	400	4118.59	27.10.16**	88 माह (06/17)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
27.	सच खास/निजी/ हिमाचल प्रदेश	एलएंडटी एचएचपीएल	267	3390.74	27.10.16**	102 माह (05/18)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
28.	टगुरशिट/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एलएंडटी	74	717.04	21.10.16**	52माह (01/17)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
29.	दुगर/निजी/ हिमाचल प्रदेश	डीएचपीएल	449	3951.86 (comp.)	20.12.16**	96 माह (06/19)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
30.	स्वालकोट/राज्य/जे एंड के	जेकेएसपीडीसी	1856	22190.66 (02/16)	27.12.16**	96 माह (06/18)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
31.	किरथई-II/राज्य/जे एंड के	जेकेएसपीडीसी	930	5993.47	27.12.16**	60 माह (06/18)	ईसी एवं एफसी प्रतीक्षित है।
	उप-जोड़		13467				

(ग) न्यायाधीन पर्यावरणीय और वन स्वीकृति

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र/ राज्य	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) पीएल	सीईए सहमति की तारीख	निर्माण अवधि (शून्य तिथि)	टिप्पणियां
32.	कोटलीभेल चरण-I/क/ केंद्रीय/उत्तराखंड	एनएचपीसी	195	1095.77 (12/05)	03.10.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 54 महीने	9.5.2007 को ईसी दी गई। 13.10.201 को एफसी चरण-I दी गई। चरण - II प्रतीक्षित है। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
33.	कोटलीभेल चरण-ख /केंद्रीय/उत्तराखंड	एनएचपीसी	320	1806.43 (12/05)	31.10.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 54 महीने	पहले 14.08.07 को ईसी प्रदान की गई जिसे 22.11.10 को वापस लिया गया एमओईएफ द्वारा 07.07.2011 को एफसी अस्वीकृत की गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
34.	कोटलीभेल चरण-II/ केंद्रीय/उत्तराखंड	एनएचपीसी	530	2535.86 (03/06)	30.11.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 60 महीने	23.08.2007 को ईसी दी गई। एफसी 05.07.2011 को अस्वीकृत की गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
35.	अलकनंदा/निजी/ उत्तराखंड	जीएमआरएल	300	1415.96*	08.08.08/ 07.08.17 तक पुनःवैधीकरण	69 माह 03/09	ईसी 12.3.08 को दी गई, एफसी-I 8.11.11 को दी गई। एफसी-II 09.11.2012 को दी गई। परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
उप-जोड़			1345				
कुल (ईएंडएफ स्वीकृति के लिए लंबित)			21564				

श्रेणी-II: पर्यावरणीय और वन स्वीकृति दी गई एवं अन्य कारणों से लंबित

36.	पकलदुल/ केंद्रीय/जेएंडके	सीवीपीपी	1000	5088.88 (07/05)	03.10.06	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 72 महीने	ईसी 29.2.08 को दी गई और एफसी-I 16.5.05 को दी गई और एफसी-II 15.12.15 को दी गई। बोली निर्धारण को अंतिम रूप देने का निर्णय निदेशक
-----	-----------------------------	----------	------	--------------------	----------	--	---

							मंडल के अनुमोदन के अधीन है।
37.	कुटेहर/निजी/ हिमाचल प्रदेश	जेएसडब्ल्यूईपीएल	240	1798.13*	31.8.10	60 माह 10/11	05.07.2011 को ईसी दी गई। एफसी-I 22.06.2011 को दी गई तथा एफसी-II 19.02.2013 को दी गई। एफसी-II प्राप्त करने और निजी भूमि का अधिग्रहण करने में विलंब के कारण आरंभिक बोलियों की वैधता समाप्त हो गई नई बोली आमंत्रित की जा रही हैं।
38.	नफ्रा/निजी/ अरुणाचल प्रदेश	एसएनईएल	120	848.22*	11.02.11	36 माह 07/11	19.08.13 को ईसी दी गई। एफसी-I 12.07.2011 को दी गई तथा 26.06.2012 को एफसी-II दी गई। वित्तीय बंदी रद्द की गई। वन भूमि के विपथन संबंधी अंतिम आदेशों के लिए परियोजना रूकी हुई है।
39.	डेमवे लोअर/ निजी/अरुणाचल प्रदेश	एडीपीएल	1750	13144.91*	20.11.09	61 माह 04/11	ईसी 12.02.10 को दी गई। एफसी 26.07.13 को दी गई। वित्तीय बंदी अभी की जानी है। परियोजना के विरुद्ध एनजीटी में याचिका दायर की गई।
40.	अथिरापिल्ली/ राज्य/केरल	केएसईबी	163	385.63 (2004-05)	31.03.05	42 माह 03/05	एफसी दी गई। ईसी 9.10.15 को पुनःस्थापित की गई। कार्य अवार्ड करने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
41.	न्यू गंदरवाल/राज्य/ जेएंडके	जेकेएसपीडीसी	93	965.86 (01/14)	10.6.14	48 माह (7/14)	ईसी 27.09.13 को दी गई और एफसी 02.04.2012 को दी गई।
42.	किरु/जेवी/जेएंडके	सीवीपीपीएल	624	4640.88 9/2014	13.06.16	54 माह 8/16	ईसी 24.06.2016 को दी गई और एफसी 19.05.2016 को दी गई। सिविल बोली मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। एचएम कार्यों के लिए बोली दस्तावेज 05.11.2016 को जारी किए गए।
43.	लोकटक डाउनस्ट्रीम/ केंद्रीय/मणिपुर	एलडीएचसीएल	66	1352.77/ (02/15)	04.11.16**		ईसी और एफसी दी गई। निविदा कार्य किया जाना है।
44.	क्वार/जेवी/जेएंडके	सीवीपीपी	540	4391.05 (04/16)	15.11.16**	54माह (09/18)	ईएसी द्वारा 31.12.16 को ईसी की सिफारिश की गई और एफसी 08.08.14 को दी गई।
उप-जोड़ (अन्य कारणों के लिए लंबित)			4596				
कुल			26160				

आईसी: संस्थापित क्षमता
ईसी: पर्यावरणीय स्वीकृति
एफसी: वन स्वीकृति
जेवीसी: संयुक्त उद्यम कंपनी
(*): पूर्णता लागत
(**): सहमति बैठक तिथि

"लंबित विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

भारत में सीईए में जांचाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

(27.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्कीम	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	जेलम टमक	उत्तराखंड	केंद्रीय	टीएचडीसीआईएल	108
2.	बोवाला नंद प्रयाग	उत्तराखंड	राज्य	यूजेवीएनएल	300
3.	डगामारा	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसीएल	130
4.	उम्नगोट	मेघालय	राज्य	एमईपीजीसीएल	210
5.	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	अरुणाचल प्रदेश	निजी	केएचईपीसीएल	1800
6.	अट्टुनली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एएचईपीसीएल	680
7.	मोगोचू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएमसीपीसीएल	96
8.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	2880
9.	लुहरी स्टेज-I	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	210
				कुल	6414

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-404

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता

*404. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

कुमारी सुष्मिता देव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों और/या उनके राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य या राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत वित्त निगम द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) विद्युत अवसंरचना मजबूत बनाने में राज्य विद्युत बोर्डों के प्रयास की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 403 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, हाँ। पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) लि. ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों को विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 1,61,250 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की है। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : अवसंरचना सुदृढीकरण के लिए राज्य क्षेत्र की यूटिलिटियों को पीएफसी के वित्तपोषण की सहायता से सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) में पारेषण लाइनों, मेगा वोल्ट ऐम्पियर (एमवीए) में उपकेंद्रों के माध्यम से अंतरण क्षमता तथा मेगावाट (एमडब्ल्यू) में उत्पादन क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

"विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य क्षेत्र यूटिलिटियों को संस्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा

रुपए करोड़ में

क्रम सं.	राज्य का नाम	01.04.2013 से 31.12.2016 (संस्वीकृत राशि)
1	आंध्र प्रदेश	13,483
2	असम	-
3	बिहार	3,275
4	छत्तीसगढ़	6,420
5	दिल्ली	1,472
6	गोवा	1,432
7	हरियाणा	3,757
8	हिमाचल प्रदेश	638
9	जम्मू व कश्मीर	13,215
10	कर्नाटक	1,996
11	केरल	917
12	मध्य प्रदेश	6,264
13	महाराष्ट्र	8,216
14	मेघालय	744
15	मिजोरम	24
16	ओडिशा	-
17	पुडुचेरी	64
18	पंजाब	7,291
19	राजस्थान	23,168
20	सिक्किम	2,219
21	तमिलनाडु	22,385
22	तेलंगाना	15,522
23	त्रिपुरा	-
24	उत्तर प्रदेश	17,662
25	उत्तराखंड	618
26	पश्चिम बंगाल	10,466
	कुल	1,61,250

"विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना सुदृढीकरण के लिए राज्य क्षेत्र यूटिलिटीयों को पीएफसी वित्तपोषण द्वारा सहायता की गई पारेषण लाइनों (सीकेएम), सब-स्टेशन (एमवीए) और उत्पादन क्षमता (मेगावाट) का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	एमवीए	सीकेएम	मेगावाट
1	आंध्र प्रदेश	18797	2336	3005
2	बिहार	5614	20567	
3	छत्तीसगढ़	-	-	2810
4	दिल्ली	2,160	175	-
5	गोवा	-	400	-
6	हरियाणा	75	20	800
7	हिमाचल प्रदेश	320	7	-
8	जम्मू व कश्मीर	-	-	1,904
9	कर्नाटक	171	1443	-
10	केरल	-	-	114
11	मध्य प्रदेश	-	10018	1200
12	महाराष्ट्र	-	329	2700
13	मेघालय	-	-	40
14	पंजाब	120	-	-
15	राजस्थान	2706	10516	120
16	सिक्किम	-	24	-
17	तमिलनाडु	9463	2009	2520
18	तेलंगाना	6576	1762	1880
19	उत्तर प्रदेश	11,266	3,195	1,320
20	उत्तराखंड	915	50	12
21	पश्चिम बंगाल	-	-	660
	कुल	58183	52851	19085

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4603
जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना

4603. श्री एस. राजेन्द्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में 400 मेगावाट की कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए किसी नए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसमें केन्द्र सरकार का अंश कितना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 06.03.2017 को 2717.35 करोड़ रुपए की अनुमानित पूर्णता लागत पर 400 मेगावाट की कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के संशोधित लागत प्राक्कलन-I का अनुमोदन कर दिया है। जिसमें केन्द्र सरकार का 244.05 करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर शामिल है। यह परियोजना मार्च, 2012 में पूर्णतः चालू हो गई थी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4621

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्र

4621. श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के ताप विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता और विद्युत उत्पादन के बीच राज्य-वार कितना अंतर है;

(ग) इनकी क्षमता की तुलना में कम विद्युत उत्पादन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का निकट भविष्य में राज्य में बिजली की कमी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कुछ नए ताप अथवा परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में, देश में ताप विद्युत संयंत्रों की संख्या 264 है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : विद्युत संयंत्रों की संस्थापित क्षमता, यदि पूर्णतः प्रयुक्त की जाती है, अधिकतम उत्पादन दे सकती है। संस्थापित क्षमता का उपयोग प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के रूप में व्यक्त किया जाता है अर्थात् 100%, क्षमता का उपयोग अभिप्राय 100% पीएलएफ से है। यूनिट की आयु, जबरन और नियोजित बंदी, ईंधन की अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा, पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता और लाभार्थी से कार्यक्रम पीएलएफ जैसे तथ्यों पर आधारित होता है। राज्य-वार संस्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन और ताप विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(घ) और (ङ) : इस समय केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 9080 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4621 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ताप विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ताप* विद्युत संयंत्रों की संख्या
1	दिल्ली	6
2	हरियाणा	6
3	जम्मू व कश्मीर	1
4	पंजाब	6
5	राजस्थान	11
6	उत्तर प्रदेश	21
7	उत्तराखंड	2
8	छत्तीसगढ़	26
9	गोवा	1
10	गुजरात	26
11	मध्य प्रदेश	12
12	महाराष्ट्र	27
13	आंध्र प्रदेश	23
14	कर्नाटक	10
15	केरल	4
16	पुडुचेरी	1
17	तमिलनाडु	24
18	तेलंगाना	6
19	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
20	बिहार	5
21	डीवीसी	8
22	झारखंड	5
23	ओडिशा	7
24	पश्चिम बंगाल	14
25	असम	5
26	मणिपुर	1
27	त्रिपुरा	5
	सकल योग	264

टिप्पणी: * ताप विद्युत संयंत्र में कोयला आधारित, गैस आधारित और डीजल विद्युत संयंत्र शामिल हैं।

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4621 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2016-17 के लिए (फरवरी, 2017 तक) के लिए ताप विद्युत संयंत्रों की क्षेत्र-वार, राज्य-वार संस्थापित क्षमता, उत्पादन और संयंत्र भार घटक (पीएलएफ)

क्षेत्र	राज्य	स्टेशन का नाम	28.02.2017 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	2016-17 (फरवरी, 2017)* के दौरान उत्पादन (एमयू में)	पीएलएफ (%)
एनआर	दिल्ली	बदरपुर टीपीएस	705	1703.15	30.14
		आई.पी. सीसीपीपी	270	638.6	29.51
		प्रगति सीसीजीटी-III	1500	1834.2	15.25
		प्रगति सीसीपीपी	330.4	1711.93	64.64
		राजघाट टीपीएस	135	0	0
		रिठाला सीसीपीपी	108	0	0
हरियाणा		फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	927.33	26.8
		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	4939.18	41.08
		महात्मा गांधी टीपीएस	1320	2809.96	26.56
		पानीपत टीपीएस	920	2075.46	28.14
		राजीव गांधी टीपीएस	1200	3806.83	39.58
जम्मू व कश्मीर		यमुना नगर टीपीएस	600	3221.28	66.98
		पम्पोर जीपीएस (लिव्किव.)	175	0	0
पंजाब		जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	920	2692.05	36.5
		जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440	698.58	19.81
		गोइंदवाल साहिब	540	223.91	4.74
		राजपुरा टीपीपी	1400	8621.82	76.83
		रोपार टीपीएस	1260	2755	27.28
		तलवंडी साबो टीपीपी	1980	6600.65	48.1
राजस्थान		अंता सीसीपीपी	419.33	614.29	18.28
		बरसिंगसर लिग्नाइट	250	1307.4	65.24
		छाबड़ा टीपीपी	1000	6193.11	77.26
		धौलपुर सीसीपीपी	330	124.84	4.72
		गिरल टीपीएस	250	0	0
		जलीपा कपूर्दी टीपीपी	1080	6173.23	71.31
		कालीसिंध टीपीएस	1200	5265.53	54.74
		कवाई टीपीएस	1320	7370.08	69.65
		कोटा टीपीएस	1240	7068.93	71.12
		रामगढ़ सीसीपीपी	273.8	1287.56	58.66
		सूरतगढ़ टीपीएस	1500	4308.41	35.83
उत्तर प्रदेश		अनपरा सी टीपीएस	1200	7881.54	81.94
		अनपरा टीपीएस	2630	13453.84	69.61
		औरैया सीसीपीपी	663.36	472.07	8.88
		बरखेड़ा टीपीएस	90	390.92	54.19

		दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	8281.85	56.77
		दादरी सीसीपीपी	829.78	2126.09	31.96
		हरदुआगंज टीपीएस	665	3632.74	68.15
		खांबरखेड़ा टीपीएस	90	373.71	51.8
		कुंदरकी टीपीएस	90	460.8	63.87
		मकसूदपुर टीपीएस	1980	3212.51	35.7
		नरौरा ए.पी.एस.	90	415.66	57.62
		ओबरा टीपीएस	1278	3403.86	33.23
		पंकी टीपीएस	210	755.46	44.88
		परीछा टीपीएस	1140	5893.29	64.49
		प्रयागराज टीपीपी	1320	3914.63	47.99
		रिहंद एसटीपीएस	3000	19884.17	82.69
		रोसा टीपीपी फेज-I	1200	7582.77	78.83
		सिंगरौली एसटीपीएस	2000	13846.27	86.37
		टांडा टीपीएस	440	2954.06	83.75
		ऊंचाहार टीपीएस	1050	6373.36	75.72
		उतरौला टीपीएस	90	413.54	57.32
	उत्तराखंड	गामा सीसीपीपी	225	423.31	36.98
		काशीपुर सीसीपीपी	225	363.59	56.11
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	अकलतारा टीपीएस	1200	5912.37	61.46
		अवंथा भंडार	600	2505.42	52.09
		बाल्को टीपीएस	600	2874.48	59.77
		बंदाखार टीपीपी	300	1188.14	49.41
		बारादरहा टीपीएस	1200	6533.39	67.92
		भिलाई टीपीएस	500	3325.92	82.98
		चकाबुरा टीपीपी	30	223.72	93.03
		डीएसपीएम टीपीएस	500	3773.59	94.15
		कसाईपल्ली टीपीपी	270	1887.92	87.23
		कटघोरा टीपीपी	35	0	0
		कोरबा एसटीपीएस	2600	18482.37	88.68
		कोरबा-II	200	845.21	52.72
		कोरबा-III	240	1291.76	67.14
		कोरबा-वेस्ट टीपीएस	1340	8355.47	77.79
		मारवा टीपीएस	1000	2124.75	29.54
		नवापारा टीपीपी	300	620.71	45.03
		ओपी ज़िंदल टीपीएस	1000	4031.21	50.29
		पथाडी टीपीपी	600	4034.41	83.88
		रायखेड़ा टीपीपी	1370	553.85	6.69
		रतीजा टीपीएस	100	367.28	71.67
		सलोरा टीपीपी	135	0	0
		सिपत टीपीएस	2980	21574.37	90.32
		एसवीपीएल टीपीपी	63	265.65	52.6
		स्वास्तिक कोरबा टीपीपी	25	0	0
		तमनार टीपीपी	2400	4352.91	29.45
		उचपिंडा टीपीपी	720	100.05	1.73
	गोवा	गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	48	0	0
	गुजरात	अकरीमोटा लिग्ना. टीपीएस	250	1252.01	62.48
		बड़ौदा सीसीपीपी	160	135.09	10.53
		भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	250	52.15	0
		डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	1.02	0.01

	धुवरन सीसीपीपी	594.72	261.54	5.49
	एस्सार सीसीपीपी	515	0	0
	गांधार सीसीपीपी	657.39	2070.33	39.29
	गांधीनगर टीपीएस	630	1970.13	28.92
	हजीरा सीसीपीपी	156.1	24.32	1.94
	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	201.71	7.17
	कवास सीसीपीपी	656.2	1507.75	28.66
	कच्छ लिग्ना. टीपीएस	290	1351.85	58.15
	मुंद्रा टीपीएस	4620	28128.37	75.95
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	24546.15	76.55
	पेगुथान सीसीपीपी	655	271.47	5.17
	पीपावाव सीसीपीपी	702	229.99	4.09
	साबरमती (सी स्टेशन)	60	0	0
	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	362	2529.43	87.17
	सलाया टीपीपी	1200	5060.77	52.61
	सिक्का रेप. टीपीएस	740	1842.1	31.05
	सुजैन सीसीपीपी	1147.5	4524.48	49.19
	सूरत लिग्ना. टीपीएस	500	2881.06	71.88
	उकई टीपीएस	1350	4867.53	44.98
	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	0	0
	उतरन सीसीपीपी	518	136.67	3.29
	वानकबोरी टीपीएस	1470	3381.65	28.7
मध्य प्रदेश	अमरकंटक एक्सटें. टीपीएस	210	1332.93	79.18
	अनूपपुर टीपीपी	1200	3430.7	35.67
	बीना टीपीएस	500	682.72	17.03
	महान टीपीपी	600	2333.93	48.53
	निगरी टीपीपी	1320	6906.61	65.27
	निवारी टीपीपी	45	211.77	58.71
	संजय गांधी टीपीएस	1340	6177	57.51
	सासन यूएमटीपीपी	3960	26845.47	84.57
	सतपुड़ा टीपीएस	1330	3282.12	30.79
	सिओनी टीपीपी	600	303.42	5.78
	श्रीसिंगाजी टीपीपी	1200	2378.2	24.72
	विंध्याचल एसटीपीएस	4760	28887.51	75.71
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीएस	1350	1777.83	16.43
	बेला टीपीएस	270	0	0
	भुसावल टीपीएस	1420	5444.13	47.83
	बुटीबोरी टीपीपी	600	3424.84	71.21
	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2920	13642.32	65.14
	दहानु टीपीएस	500	3411.11	85.11
	धारीवाल टीपीपी	600	1407.03	29.25
	एमको वरौरा टीपीएस	600	3318.87	69.01
	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120	0	0
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200	6155.47	63.99
	खापरखेड़ा टीपीएस	1340	7171.6	66.77
	कोराडी टीपीएस	2600	5118.54	36.27
	मंगाओं सीसीपीपी	388	215.44	10.91
	मौदा टीपीएस	1660	3436.2	39.3
	मिहान टीपीएस	246	0	0
	नासिक (पी) टीपीएस	540	0.86	0

		नासिक टीपीएस	630	3070.84	60.81
		पारस टीपीएस	500	2751.5	68.65
		पार्ली टीपीएस	1170	1258.76	15.61
		रत्नागिरी सीसीपीपी I	740	0	0
		रत्नागिरी सीसीपीपी II	740	2440.93	41.15
		रत्नागिरी सीसीपीपी III	740	1715.29	28.92
		तिरौरा टीपीएस	3300	15472.42	58.49
		ट्रॉम्बे सीसीपीपी	180	1275.18	88.38
		ट्रॉम्बे टीपीएस	1250	4527.67	40.71
		उरन सीसीपीपी	672	2975.5	55.24
		वर्धा वरौरा टीपीपी	540	1304.18	30.13
एसआर	आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैय्या टीपीएस	1600	7990.4	62.3
		डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1760	10642.65	75.44
		गौतमी सीसीपीपी	464	0	0
		जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	220	0	0
		गोदावरी सीसीपीपी	208	916.55	54.97
		जीआरईएल सीसीपीपी (राजहमुंदरी)	768	643.51	10.45
		जेगुरुपुडु फेज-I सीसीपीपी	235.4	836.1	44.31
		जेगुरुपुडु फेज-II सीसीपीपी	220	75.08	4.26
		कोनासीमा सीसीपीपी	445	0	0
		कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	157.32	5.36
		कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	747	26.63
		कोंडापल्ली स्टे.-3 सीसीपीपी	742	1266.11	21.29
		एलवीएस पावर डीजी	36.8	0	0
		पैनमपुरम टीपीपी	1320	8119.61	76.74
		पेड्डापूरम सीसीपीपी	220	0	0
		रायलसीमा टीपीएस	1050	6052.39	71.91
		एसजीपीएल टीपीपी	1320	997.14	59.5
		सिम्हाद्री	2000	12874.06	80.3
		सिम्हापुरी टीपीएस	600	1572.79	32.7
		थामिनापट्टनम टीपीएस	300	1214.83	50.52
		वेमागिरी सीसीपीपी	370	305.33	10.29
		विजेश्वरन सीसीपीपी	272	637.87	29.26
		विजाग टीपीपी	1040	2790.52	35.93
	कर्नाटक	बेल्लारी डीजी	25.2	0	0
		बेल्लारी डीजी	1700	6108.8	69.8
		कुडगी एसटीपीपी	800	0	0
		रायचूर टीपीएस	1720	10353.92	75.1
		टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	260	1525.17	73.18
		टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	600	2317.61	48.19
		उडुपी टीपीपी	1200	7261.87	75.49
		येलहाका (डीजी)	127.92	0	0
		येरमारस टीपीपी	800	107.95	0
	केरल	ब्रह्मपुरम डीजी	63.96	5.49	0
		कोचीन सीसीपीपी (लिवि.)	174	0	0
		कोझीकोड डीजी	96	41.43	0
		आर. गांधी सीसीपीपी (लिवि.)	359.58	15.4	0.53
	पुडुचेरी	कराईकल सीसीपीपी	32.5	224.95	86.35
	तमिलनाडु	बी. ब्रिज डी.जी.	200	0	0
		बेसिन ब्रिज जीटी (लिवि.)	120	10.42	1.08

		एन्नोर टीपीएस	340	191.99	5.43
		आईटीपीसीएल टीपीपी	1200	4224.78	45.91
		करूपपुर सीसीपीपी	119.8	442.64	46.09
		कोविकलपल सीसीपीपी	107.88	325.05	37.59
		कुट्टलम सीसीपीपी	100	348.83	43.52
		मेडूर टीपीएस	1440	8221.55	71.23
		मुथियारा टीपीपी	1200	3479.3	36.17
		नेवेली (एक्सटें.) टीपीएस	420	3015.25	89.56
		नेवेली टीपीएस-I	600	3328.95	69.21
		नेवेली टीपीएस(जेड)	250	954.56	47.63
		नेवेली टीपीएस-II	1470	10005.11	84.91
		नेवेली टीपीएस-II एक्सपें.	500	1297	32.36
		नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	9017.89	61.47
		पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5	189.35	7.15
		समलपट्टी डीजी	105.7	0	0
		समयानल्लूर डीजी	106	12.01	0
		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	1000	5688.81	70.97
		तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	300	23.62	0.98
		तूतीकोरिन टीपीएस	1050	5162.53	61.34
		वैलंटरवी सीसीपीपी	52.8	350.32	82.77
		वल्लूर टीपीपी	1500	8260.35	68.7
		वलुथूर सीसीपीपी	186.2	863.83	57.87
	तेलंगाना	काकातिया टीपीएस	1100	5900.66	66.92
		कोथागुडेम टीपीएस	720	3544.74	61.42
		कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	1000	5879.99	73.35
		रामागुडेम - बी टीपीएस	62.5	410.46	81.93
		रामागुडेम एसटीपीएस	2600	17754.49	85.19
		सिंगरैनी टीपीपी	1200	3323.18	0
ईआर	अंडमान निकोबार	अंड. निकोबार डीजी	40.05	184.97	0
	बिहार	बरौनी टीपीएस	210	111.46	6.62
		बाढ़ II	1320	6889.98	65.12
		कहलगांव टीपीएस	2340	14448.53	77.03
		मुजफ्फरपुर टीपीएस	415	726.88	41.19
		नबी नगर टीपीपी	250	0	0
	डीवीसी	बोकारो 'बी' टीपीएस	630	1440.34	28.52
		बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपें.	500	0	0
		चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	760	5197.95	66
		दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000	6051.75	75.5
		दुर्गापुर टीपीएस	210	492.84	20.96
		कोडरमा टीपीपी	1000	3479.54	43.41
		मेजिया टीपीएस	2340	11679.98	62.27
		रघनाथपुर टीपीपी	1200	1825.18	18.97
	झारखंड	जोजोबेरा टीपीएस	360	2172.22	75.27
		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	540	3018.42	69.73
		मैथॉन आरबी टीपीपी	1050	6742.71	80.11
		पतरातु टीपीएस	455	385.88	8.44
		टेनुघाट टीपीएस	420	1297.23	38.53
	ओडिशा	देरांग टीपीपी	1200	6092.15	63.33
		आईबी वैली टीपीएस	420	2930.4	87.04
		कमलंगा टीपीएस	1050	5449.18	64.74

		स्टेरलाइट आयात	2400	7453.66	38.74
		तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	460	3423.99	92.86
		तालचेर एसटीपीएस	3000	20813	86.55
		उत्कल टीपीपी (इंड बराथ)	350	0	0
	पश्चिम बंगाल	बाकरेश्वर टीपीएस	1050	6383.15	75.84
		बंडेल टीपीएस	450	1661.63	46.06
		बज बज टीपीएस	750	4920.18	81.84
		चिनकौरी टीपीएस	30	0	0
		डी.पी.एल. टीपीएस	660	1959.73	37.04
		फरक्का एसटीपीएस	2100	12559.16	74.61
		हल्दिया जीटी (लिक्वि.)	40	0	0
		हल्दिया टीपीपी	600	3693.78	76.8
		कस्बा जीटी (लिक्वि.)	40	0	0
		कोलाघाट टीपीएस	1260	5678.32	56.22
		सागरदिघी टीपीएस	1600	4416.03	70.23
		संतालडिह टीपीएस	500	3311.97	48.57
		साउथर्न आरईपीएल टीपीएस	135	381.33	35.24
		टीटागढ़ टीपीएस	240	232.81	12.1
एनईआर	असम	बोंगाईगांव टीपीपी	250	1517.71	75.73
		चंद्रपुर (असम) टीपीएस	60	0	0
		कथलगुरी सीसीपीपी	291	1442.06	61.82
		लकवा जीटी	142.2	813.39	65.07
		नामरूप सीसीपीपी	181.25	319.57	30.67
	मणिपुर	लीमाखोंग डीजी	36	0	0
	त्रिपुरा	अगरतला जीटी	135	833.04	82.68
		बारामुरा जीटी	58.5	173.12	36.92
		मोनार्चक सीसीपीपी	101	127.34	15.73
		रोखिया जीटी	111	406.88	45.73
		त्रिपुरा सीसीपीपी	726.6	3758.05	64.52
कुल थर्मल (अखिल भारत)			215124.01	902951.76	59.93
* वास्तविक सह आकलन पर आधारित अनंतिम					
टिप्पणी:	1. उत्पादन में 25 मेगावाट और उससे अधिक के संयंत्रों का उत्पादन ही शामिल है।				
	2. ऊपर दिए गए आंकड़े संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) का सकल उत्पादन दर्शाते हैं।				

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4621 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	क्षेत्र/परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	यूनिट क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की अनुमानित तिथि
केंद्रीय क्षेत्र					
1	घाटमपुर टीपीपी	एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम	1	660	11/2020
			2	660	05/2021
			3	660	09/2021
2	मेजा टीपीपी	मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि.	1	660	06/2017
			2	660	12/2017
3	ऊंचाहार टीपीएस एक्सटें. स्टे.-IV	एनटीपीसी	1	500	06/2017
4	टांडा-II एसटीपीपी	एनटीपीसी	1	660	09/2018
			2	660	03/2019
राज्य क्षेत्र					
1	हरदुआगंज टीपीपी	यूपीआरवीयूएनएल	1	660	06/2019
2	जवाहरपुर एसटीपीपी	जेवीयूएनएल	1	660	12/2020
			2	660	04/2021
3	ओबरा-सी टीपीपी	यूपीआरवीयूएनएल	1	660	12/2020
			2	660	04/2021
निजी क्षेत्र					
	प्रयागराज टीपीपी	प्रयागराज पावर जेनरेशन कं. लि.	2	660	04/2017
		कुल		9080	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4634

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

4634. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में चालू और लंबित/स्वीकृत विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की क्या स्थिति है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी यदि ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है तो वह इस अधिनियम के तहत लाइसेंस/अनुमति प्राप्त किए बिना ताप उत्पादन केंद्र स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं (टीपीपी) की स्थापना करने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति हेतु प्रस्तुत करनी अपेक्षित होती हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में चल रही/निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा आंध्र प्रदेश की 1218 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली तीन जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) पर सहमति दी गई/मूल्यांकन किया गया है। सीईए द्वारा संबंधित विकासकर्ता को 320 मेगावाट की उत्पादन क्षमता से एपजेको की दम्भगुडेम हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना की डीपीआर वापस कर दी गई है।

आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन एक जल विद्युत परियोजना नामतः इंदिरा सागर (पोलावरम) (12x80 = 960 मेगावाट) है जिसे 2021-22 के दौरान चालू किया जाना संभावित है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भविष्य में आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में 6000 मेगावाट की न्यूक्लियर विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया है।

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4634 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आंध्र प्रदेश में चल रही/निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी/ईपीसी या बीटीजी	एलओए तिथि	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की मूल अनुसूची	चालू होने की अनुमानित अनुसूची	ईंधन
राज्य क्षेत्र							
1	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V/एपजैको/बीटीजी-भेल	अक्टू.-15	यू-1	800	जून-19	जून-19	कोयला
2	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II/एपजैको/बीटीजी-भेल	नवंबर-15	यू-1	800	मार्च-19	मार्च-19	कोयला
3	रायलसीमा टीपीपी स्टे.-IV/एपजैको/बीटीजी-भेल	अक्टू.-10	यू-6	600	जुलाई-14	मार्च-17	कोयला
निजी क्षेत्र							
1	भवानापडु टीपीपी फेज-I/ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि. बीटीजी-चाइनीज	सितं.-09	यू-1	660	अक्टू.-13	दिसं.-17	कोयला
			यू-2	660	मार्च-14	मई-17	
2	थामिनापट्टिनम टीपीपी स्टेज-II/मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	दिसं.-09	यू-3	350	मई-12	दिसं.-17	कोयला
			यू-4	350	अग.-12	मार्च-18	
3	कृष्णापट्टिनम (यूएमपीपी)	नवं.-07 (एलओआई)	6X660	3960*	फरवरी-15	--	कोयला

टिप्पणी: *1600 मेगावाट विद्युत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आबंटित की गई।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4635

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत की बर्बादी

4635. श्री अधीर रंजन चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत की बर्बादी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;
- (ख) सरकार द्वारा इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) क्या सरकार का इस संबंध में निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों को प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्रिड में उत्पादित विद्युत का प्रयोग इसकी अंतर्निहित विशेषता के कारण विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा या तो उसी समय किया जाता है अथवा तकनीकी पारेषण एवं वितरण (टीएण्डडी) हानियों के कारण स्वयं प्रणाली द्वारा किया जाता है। तकनीकी हानियां कंडक्टरों में अपव्यय हुई ऊर्जा तथा पारेषण, अन्तरण, उप-पारेषण तथा वितरण के लिए प्रयोग किए गए उपस्कर के कारण तथा गणना न की गई ऊर्जा के कारण होती है। प्रणाली में तकनीकी हानियां अंतर्निहित होती है तथा एक स्तर तक कम की जा सकती हैं। राज्य-वार टीएण्डडी हानियां अनुबंध में दी गई हैं।

(ख) : भारत सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ टीएण्डडी हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- I. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अन्तर्गत वितरण अवसंरचना का संवर्धन।
- II. विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए उदय योजना।

(ग) : वितरण अवसंरचना का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी अवसंरचना के संवर्धन में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से टीएण्डडी हानियां आगे और कम होंगी।

विद्युत समवर्ती सूची का विषय है, टीएण्डडी हानियों के लिए लास रिडक्सन ट्रेजेक्ट्री का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4635 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ट्रांसफॉर्मेशन, पारेषण और वितरण हानियों (गणना नहीं की गई ऊर्जा सहित) की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16*
हरियाणा	34.05	31.61
हिमाचल प्रदेश	20.81	18.75
जम्मू व कश्मीर	53.06	50.06
पंजाब	18.45	18.55
राजस्थान	27.51	29.13
उत्तर प्रदेश	27.19	24.51
उत्तराखंड	24.53	25.6
चंडीगढ़	19.1	18.74
दिल्ली	21.49	19.58
गुजरात	19.28	19.1
मध्य प्रदेश	32.26	28.61
छत्तीसगढ़	29.21	30.78
महाराष्ट्र	20.39	19.89
दादरा व नागर हवेली	10.33	10.06
गोवा	14.97	18.04
दमन व दीव	29.63	31.85
आंध्र प्रदेश	17.94	15.24
तेलंगाना	15.72	16.1
कर्नाटक	11.5	10.21
केरल	15.4	10.78
तमिलनाडु	11.07	10.13
लक्षद्वीप	3.63	9.81
पुडुचेरी	14.9	14.01
बिहार	46.27	49.29
झारखंड	17.2	16.99
ओडिशा	41.96	39.1
सिक्किम	24.97	26.52
पश्चिम बंगाल	24.66	22.16
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20.5	14.47
असम	27.57	25.2
मणिपुर	40.95	44.45
मेघालय	33.34	32.32
नागालैंड	26.51	29.89
त्रिपुरा	35.93	30.56
अरुणाचल प्रदेश	46.24	50.6
मिजोरम	42.05	36.11
अखिल भारत	22.77	21.81

*अनंतिम

स्रोत: जनरल रिव्यू, सीईए

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4642

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

उजाला योजना

4642. श्री रत्न लाल कटारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उजाला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019 तक 77 करोड़ से अधिक परम्परागत/अधिक चमकीले बल्बों को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) 31 दिसम्बर, 2017 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने एलईडी बल्ब वितरित किए जाने की संभावना है;
- (घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन से बिजली के बिलों में रुपयों में होने वाली बचत का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उजाला योजना के अंतर्गत रुपयों में प्रतिदिन हो रही बचत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम, जो सभी को सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) के नाम से जाना जाता है, 5 जनवरी, 2015 में शुरू किया गया, जिसका कार्यान्वयन मार्च, 2019 तक 77 करोड़ तापदीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलने के लक्ष्य से घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए विद्युत मंत्रालय के चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। ईईएसएल के अतिरिक्त कई अन्य आपूर्तिकर्ता भी एलईडी बल्बों के वितरण के कार्य में लगे हुए हैं।

(ग) : ईईएसएल द्वारा 31 दिसंबर, 2017 तक वितरित किए जाने के लिए सम्भावित एलईडी बल्बों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(घ) और (ङ) : 77 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बचत होगी। दिनांक 22.03.2017 के अनुसार उजाला योजना के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा 22.01 करोड़ से अधिक के एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप 31.3 करोड़ रुपए प्रतिदिन की अनुमानित लागत बचत हुई है।

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4642 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

31 दिसंबर, 2017 तक उजाला स्कीम के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार को वितरित किए होने वाले एलईडी बल्ब

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एलईडी बल्बों की संख्या (लाख में)
1	जम्मू व कश्मीर	129
2	हिमाचल प्रदेश	113
3	उत्तराखंड	47
4	पंजाब	61
5	हरियाणा	139
6	दिल्ली	134
7	राजस्थान	182
8	मध्य प्रदेश	180
9	गुजरात	415
10	दमन व दीव	2
11	दादरा व नागर हवेली	2
12	महाराष्ट्र	289
13	तेलंगाना	78
14	गोवा	8
15	कर्नाटक	215
16	लक्षद्वीप	1
17	केरल	100
18	उत्तर प्रदेश	240
19	बिहार	195
20	पश्चिम बंगाल	120
21	सिक्किम	8
22	मेघालय	8
23	असम	14
24	नागालैंड	8
25	त्रिपुरा	9
26	झारखंड	105
27	मिजोरम	9
28	छत्तीसगढ़	130
29	ओडिशा	175
30	आंध्र प्रदेश	241
31	अंडमान व निकोबार	4
32	पुडुचेरी	6
33	तमिलनाडु	1
	कुल	3,365

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4646

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

4646. श्री आर.पी. मरुदराजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में तमिलनाडु सहित और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन हेतु कोई निधि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : सरकार ने क्रमशः 5,635 लाख रुपए और 6,423 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अलप्पुझा (केरल) और शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में दो नए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को स्वीकृति दी है। एनपीटीआई का तमिलनाडु के नेवेली में एक संस्थान है। तमिलनाडु में और अधिक एनपीटीआई की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4647
जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

ऊर्जा कुशल उत्पाद

4647. श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश की ऊर्जा कुशल उत्पादों हेतु बाजार की क्षमता में 1.6 लाख करोड़ रुपये की चार गुना से अधिक वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश में सभी परियोजनाएं उपयोगिता मांग संबंधी प्रबंधन हेतु बाजार क्षमता प्रदान करती हैं; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता उत्पादों के लिए बाजार सम्भाव्यता से संबंधित इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, "भारत में यूटिलिटी स्केल डीएसएम अवसर तथा व्यावसायिक मॉडल" पर वर्ष 2016 में वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन में 1.6 लाख करोड़ रुपए पर यूटिलिटी डीएसएम बाजार सम्भाव्यता निर्धारित की हैं, जिसका क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्षेत्र	निवेश सम्भाव्यता (रुपए करोड़ में)
उद्योग	12,100
आवासीय	91,937
व्यावसायिक भवन	1,139
निगम अवसंरचना	25,200
कृषि	30,000
कुल	1,60,376

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4667

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

गांवों का विद्युतीकरण

4667. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 18000 से अधिक गांवों में विद्युत की मूलभूत सुविधा नहीं है और 25 प्रतिशत लोग विद्युत से अभी भी वंचित हैं, जिसके लिये सरकार अभी कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्य सरकारों ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार को देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे। इनमें से 28.02.2017 की स्थिति के अनुसार, 12,364 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों को 01.05.2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

जनगणना 2011 के अनुसार, देश में 1678 लाख ग्रामीण घरों में से 750 लाख ग्रामीण घर गैर-विद्युतीकृत थे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से 94.76 लाख बीपीएल घर विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) : अब तक पच्चीस (25) राज्यों तथा एक (1) संघ राज्य क्षेत्र नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र पुडुच्चेरी ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के साथ समझौता-जापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4670

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

विद्युत की हिस्सेदारी

4670. श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बांध और एसवाईएल परियोजनाओं में आनंदपुर साहिब, शाहपुर कंडी, मुकेरियां, यूबीडीसी स्टेज-II के जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत की हिस्सेदारी हेतु हरियाणा और राजस्थान के दावे को अंतिम रूप देने के संबंध में अपने मत हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय का संदर्भ लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों तथा भारत सरकार के बीच 10.05.1984 को एक करार किया गया था जिसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि हरियाणा तथा राजस्थान द्वारा आनंदपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना, थीन बांध परियोजना, अपर बारी दोआब कैनाल (यूबीडीसी) चरण-II तथा शाहपुरकंडी जल विद्युत योजना के लिए किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस मामले पर अपनी राय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय से इस बात पर राय मांगी जाएगी कि क्या राजस्थान तथा हरियाणा राज्य इन जल विद्युत योजनाओं से उत्पादित विद्युत में हिस्से के लिए पात्र हैं, यदि पात्र हैं, तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा क्या होगा।

तथापि, बाद में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 29-30 जुलाई, 1992 तथा 06 अगस्त, 1992 को हुई चर्चा में मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय को न भेजे जाने पर सर्वसम्मति हुई। यह भी निर्णय लिया गया कि ये राज्य परस्पर परामर्श से एक तर्कसंगत करार करेंगे। इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए कई औपचारिक चर्चाएं की गई हैं। तथापि, पणधारक राज्यों के भिन्न-भिन्न विचारों पर अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई है। इस समय यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2009 के मूल वाद सं. 3 में न्यायाधीन है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4675

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता

4675. डॉ. शशि थरूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि भारत के कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता मुख्य कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादनकर्ता देशों में सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ ही इनकी दक्षता सुधारने हेतु कोई उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस हेतु बजटीय आबंटनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : देश में ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता भारत में कोयले की घटिया गुणवत्ता और आस-पास वायु के अधिक तापमान तथा जल के अधिक प्रशीतन तापमान के कारण अन्य देशों में तुलनात्मक रूप से कम है।

(ग) से (ङ) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार लाने तथा इन संयंत्रों के परिसर में वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- (i) ताप विद्युत उत्पादन के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीकी पहले ही अपनाई जा चुकी है। सुपर क्रिटिकल यूनिटों की डिजाइन दक्षता टिपिकल 500 मेगावाट के सब-क्रिटिकल यूनिटों से लगभग

5% अधिक है और इन (सुपर क्रिटिकल) यूनिटों में समान रूप से कम ईंधन खपत तथा आस-पास की वायु में CO₂ उत्सर्जन की संभावना होती है। सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित 39710 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि पहले ही हासिल की जा चुकी है और सुपर क्रिटिकल की 48,060 मेगावाट क्षमता पाइप लाइन में है।

- (ii) सभी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक का प्रयोग करना अपेक्षित है।
- (iii) 13वीं योजना के दौरान कोयला आधारित क्षमता अभिवृद्धि सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से होगी।
- (iv) सुपर क्रिटिकल यूनिट पर लगभग 10% के लक्षित दक्षता सुधार के साथ अग्रिम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक (ए-यूएससी) के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान पर कार्रवाई की जा रही है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर), एनटीपीसी और भेल ने 310 किग्रा./सेमी² के मुख्य स्टीम दबाव तथा 710/720 देश डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के साथ 800 मेगावाट ए-यूएससी स्वदेशी प्रदर्शन संयंत्र के विकास के लिए अगस्त, 2010 में एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (v) लगभग 7751.94 मेगावाट की पुरानी और अकुशल यूनिट की क्षमता आज की तारीख तक पहले ही समाप्त हो चुकी है।
- (vi) पुरानी अकुशल कोयला आधारित थर्मल यूनिटों को सुपर क्रिटिकल यूनिटों के साथ बदलने के लिए राज्य यूटिलिटीयों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को सुविधाजनक बनाने हेतु कोयला मंत्रालय भारत सरकार ने नई (प्रस्तावित) सुपर क्रिटिकल यूनिटों को एलओए/कोयला लिंकेज (पुराने संयंत्रों को प्रदान किया गया) के स्वतः हस्तांतरण की नीति तैयार की है।
- (vii) वर्द्धित ऊर्जा दक्षता संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी) स्कीम बीईई (ऊर्जा दक्षता ब्यूरो) द्वारा कार्यान्वयनाधीन है। 154 ताप विद्युत स्टेशनों को पीएटी साइकल-II में, दक्षता सुधारने का व्यक्तिगत लक्ष्य सौंपा गया है।
- (viii) फ्लू गैसों से पार्टिकुलेट मैटर्स (फ्लाइ ऐश) पर कैप्चर करने के लिए उच्च दक्षता इलैक्ट्रो स्टेटिक प्रीसेप्टर (ईएसपी) संस्थापित किए जाते हैं।
- (ix) फ्लू गैसों से NO_x उत्सर्जन को कम करने के लिए कम NO_x वाले बर्नर संस्थापित किए जाते हैं।
- (x) SO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण, भूमि के स्तर पर प्रदूषण वाली गैसों के संकेंद्रण को कम करने के लिए टाल स्टॉक (275 मीटर) के माध्यम से फ्लू गैसों के फैलाव के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

विद्युत विकासकर्ताओं द्वारा दक्षता और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए किए जाने वाले उपायों की निधियों की व्यवस्था की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4748

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

अधिनियम में संशोधन

4748. श्री रामदास सी. तडसः

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत निजी विद्युत वितरण कंपनियों सहित राज्य सरकारों और उनकी कंपनियों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है/अपनी शक्तियों का उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न सांविधिक निकायों और परिभाषित कंपनियों पर लागू होते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों और निजी डिस्कामों सहित उनकी कंपनियों द्वारा नियमों और विनियमों की अनुपालना न किया जाना संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4768

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क

4768. श्री प्रताप सिन्हा:

कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रशुल्क के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए कोई समिति गठित की है ताकि विद्युत के घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से अधिक धन वसूल करके औद्योगिक/विनिर्माण इकाइयों के भार को कम किया जा सके;
- (ख) यदि हां, तो समिति की संरचना और अधिदेश क्या हैं और इसके द्वारा क्या सिफारिशों की गई हैं;
- (ग) औद्योगिक/विनिर्माण इकाइयों पर लागू प्रशुल्क में कमी करने के क्या तर्क हैं;
- (घ) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध के अंतर्गत बल्क इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ताओं को एसईबी को वह ओपन एक्सेस सरचार्ज देना पड़ेगा जबकि वे नए आपूर्तिकर्ता को अर्थक्षम न मानते हुए उन्हें छोड़ना चाहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा मौलिक कारणों की रूपरेखा के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों से वसूल किए जा रहे अधिक प्रशुल्क की समस्या के व्यवहारिक और वहनीय समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (च) क्या सरकार का विचार राज्यों को किसानों/आवासों को राजसहायता प्राप्त/निशुल्क विद्युत देने तथा बिजली की चोरी को रोकने हेतु कदम उठाने के लिए कहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं। तथापि, भारत सरकार ने दिनांक 30 अगस्त, 2016 तथा 07 सितंबर, 2016 के आदेश के तहत प्रशुल्क ढांचे के यौक्तिकीकरण के लिए, उपायों का सुझाव देने, विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रशुल्क ढांचे

का तुलनात्मक विश्लेषण करने तथा डिस्कॉमों द्वारा की गई सभी उचित लागत की वसूली के साथ-साथ प्रशुल्क की कमी करने के लिए एक रोडमैप का सुझाव देने के लिए विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि खुली पहुँच की अनुमति अंतिम उपाय का प्रदाता होने के कारण वर्तमान क्रॉस सब्सिडियों तथा स्ट्रैंडेड परिसंपत्तियों के लिए यूटिलिटी की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार व्हीलिंग प्रभारों के अलावा, सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज के भुगतान पर दी जाएगी।

(ङ) और (च) : राज्यों में विनिर्माण यूनिटों सहित उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 तथा इसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकारें उक्त अधिनियम की धारा 65 तथा प्रशुल्क नीति के खंड 8.3 के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा निर्धारित उपयुक्त सीमा तक उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी को सब्सिडी दे सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के प्रत्यक्ष नियंत्रण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, एक उपयुक्त नीति ढांचे और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने की दृष्टि से उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवसाय में दक्षता को प्रोत्साहित करने तथा वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण को भी बढ़ावा दे रही है। ये उपाय, प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क का पता लगाने पर सरकार के बल दिए जाने सहित, डिस्कॉमों की विद्युत क्रय लागत को कम करने में योगदान देते हैं जिससे अंततः प्रशुल्क में कमी आती है।

बिजली की चोरी को रोकने के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 में बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध बनाने के लिए कानूनी ढांचे की व्यवस्था की गई है। बिजली की चोरी को रोकने के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 में चोरी का पता लगाने, बिजली की चोरी से संबंधित अपराधों की तेजी से सुनवाई करने तथा चोरी की गई बिजली के प्रभारों की वसूली के भी विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4769

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है।

असम-अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

4769. श्री रामेश्वर तेली:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं द्वारा राज्य-वार विद्युत का कितना उत्पादन किया गया है;
- (ख) असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के साथ-साथ राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा बनाई जा रही निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना सहित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या निचली सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण में देरी हुई है जिसके कारण लागत में भारी वृद्धि हुई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में, देश में 44413.42 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली एक सौ इक्यासी (181) जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) प्रचालन में हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत सहित इन जल विद्युत केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) : वर्तमान में, असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के साथ एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा केवल एक परियोजना निर्मित की जा रही है, जो लोअर सुबनसिरी एचईपी (2000 मेगावाट) है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सीसीईए अनुमोदन सात वर्षों की पूर्णता अवधि के साथ 6285.33 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2002 के मूल्य स्तर पर) की संस्वीकृत लागत पर 09.09.2003 को अनुमोदन दिया गया था। परियोजना का निर्माण जनवरी, 2005 में शुरू किया गया था और लगभग 55% कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में, असम के विभिन्न समूहों द्वारा आंदोलन के कारण परियोजना का कार्य दिसंबर, 2011 से रुका हुआ है। निर्माण संबंधी गतिविधियों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी), कोलकाता द्वारा दिनांक 11.12.2015 के आदेश के तहत एक स्थगन भी है। अब परियोजना की अनुमानित लागत 17435.15 करोड़ रुपये (फरवरी, 2016 के मूल्य स्तर पर) है जिसके फलस्वरूप परियोजना की वर्तमान लागत 11149.82 करोड़ रुपये बढ़ गई है। परियोजना को समय से पूरा करने के लिए उठाए गए कदम अनुबंध-II में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 4769 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2013-14 से 2016-17 (28.02.2017 तक) से देश में एच.ई. स्टेशनों (संस्थापित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक) का राज्य-वार उत्पादन

क्षेत्र	28.02.2017 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (28.02.2017 तक)*
		वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
	(मेगावाट)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)
उत्तरी क्षेत्र					
हिमाचल प्रदेश					
भाखड़ा एलएंडआर	1325.00	6210.29	5268.15	5892.62	4888.52
देहार	990.00	3158.68	3151.06	3339.14	3041.97
पोंग	396.00	1767.03	1327.36	1734.76	1273.94
कशांग-I	65.00				
कशांग-II व III	65.00				51.41
सैंज					
बस्सी	66.00	228.65	295.01	315.90	280.69
गिरी बाटा	60.00	230.22	199.82	189.06	134.24
लारजी	126.00	598.74	609.69	656.85	584.34
संजय	120.00	536.48	545.09	0.00	172.52
अलियन दुहांगन	192.00	700.24	677.78	724.96	664.74
मलाना-II	100.00	339.87	250.41	354.42	358.96
बासपा-II	300.00	1345.49	1252.58	1304.50	1317.77
करछम वांगटू	1000.00	4653.26	4240.43	4726.32	4258.92
चंजू-I	24.00				3.60
बुधहिल	70.00	221.17	235.83	287.85	256.46
शानन	110.00	355.89	507.82	532.57	446.54
मलाना	86.00	318.34	328.43	341.94	345.06
बैरा सियुल	180.00	638.04	796.67	745.59	601.58
चमेरा-I	540.00	2340.87	2551.80	2623.70	2079.70
चमेरा-II	300.00	1396.10	1498.71	1523.98	1383.51
चमेरा-III	231.00	937.86	1020.78	1043.62	917.09
पारबती-III	520.00	4.78	660.78	643.00	667.42
नाथपा झाकड़ी	1500.00	7190.53	6837.50	7313.79	6842.88
रामपुर	412.02	0.02	1317.57	1983.41	1905.14
कोलडैम	800.00		0.25	2308.60	3142.50
कुल एचपी	9578.02	33172.55	33573.53	38586.58	35619.50
जम्मू व कश्मीर					
बगलीहार	450.00	2799.80	2939.91	3000.14	1953.00
बगलीहार	450.00			55.60	1749.33
लोअर झेलम	105.00	516.50	600.87	666.21	417.39
अपर सिंध-II	105.00	214.89	303.32	258.35	345.17
चूटक	44.00	34.18	35.50	36.91	40.34

दुलहस्ती	390.00	2150.09	2176.43	2361.48	2179.58
निम्मो बाजगो	45.00	50.62	75.55	90.51	84.36
सलाल	690.00	3234.67	3491.58	3591.36	3225.78
सेवा-II	120.00	501.52	597.06	597.07	397.02
उरी	480.00	2520.76	3076.62	3282.97	2464.24
उरी-II	240.00	403.76	1188.18	1195.55	1295.36
जुल जम्मू व कश्मीर	3119.00	12426.79	14485.02	15136.15	14151.57
पंजाब					
ए.पी. साहिब-I व II	134.00	735.01	617.50	668.54	633.76
मुकेरियां I-IV	207.00	1246.73	1050.95	1169.46	994.20
रंजित सागर	600.00	1575.89	1862.80	1957.27	1244.93
गंगुवाल	77.65	505.07	422.89	421.93	380.05
कोटला	77.65	483.94	430.32	430.45	391.78
कुल पंजाब	1096.30	4546.64	4384.46	4647.652	3644.72
राजस्थान					
जवाहर सागर	99.00	322.43	296.17	349.34	278.62
माही बजाज-I व II	140.00	227.10	185.84	166.35	186.59
आर.पी. सागर	172.00	510.45	381.32	518.10	405.3
कुल राजस्थान	411.00	1059.98	863.33	1033.796	870.51
उत्तर प्रदेश					
खारा	72.00	418.62	363.92	321.06	261.43
माताटीला	30.60	115.98	80.54	79.01	116.45
ओबरा	99.00	203.15	229.00	160.09	203.68
रिहंद	300.00	503.98	574.23	374.92	519.75
कुल उत्तर प्रदेश	501.60	1241.73	1247.69	935.08	1101.31
उत्तराखंड					
चिब्रो (वाई.स्टे.-II)	240.00	949.80	872.10	813.78	682.31
चिल्ला	144.00	784.61	800.49	753.67	710.12
धकरनी (वाई.स्टे.-I)	33.75	170.62	149.41	136.86	117.02
धालीपुर ((वाई.स्टे.-I)	51.00	255.16	231.14	205.06	175.55
खटीमा	41.40	114.79	45.18	120.45	168.23
खोदरी (वाई.स्टे.-II)	120.00	435.94	406.99	375.94	317.81
कुलहल (वाई.स्टे.-IV)	30.00	178.52	156.16	138.98	118.36
मनेरी भाली-I	90.00	382.18	379.14	486.53	328.18
मनेरी भाली-II	304.00	833.13	888.92	1229.06	1208.84
राम गंगा	198.00	233.59	269.83	502.53	154.39
श्रीनगर	330.00	0	0	901.37	1248.21
विष्णु प्रयाग	400.00	437.90	1815.94	1210.65	1990.01
धौलीगंगा	280.00	282.31	743.49	1089.63	925.78
टनकपुर	94.20	384.18	446.71	452.36	414.03
कोटेश्वर	400.00	1521.85	1210.17	1248.05	1133.30
टिहरी	1000.00	4060.43	3023.55	3101.00	2924.51
कुल उत्तराखंड	3756.35	11025.01	11439.22	12765.92	12616.65
कुल उत्तरी क्षेत्र	18462.27	63472.70	65993.25	73105.18	68004.26
पश्चिमी क्षेत्र					
छत्तीसगढ़					
सीएसपीजीसी					
हसदियो बांगो	120.00	251.51	258.18	323.30	151.52
कुल सीएसपीजीसी	120.00	251.51	258.18	323.30	151.52
गुजरात					
कदाना पीएसएस	240.00	411.08	211.53	289.91	333.51
उकई	300.00	812.90	690.63	491.52	334.74
सरदार सरोवर सीएचपीएच	250.00	660.52	611.67	704.55	803.23

सरदार सरोवर आरबीपीएच	1200.00	5221.79	2297.75	1465.88	2311.02
कुल गुजरात	1990.00	7106.29	3811.58	2951.85	3782.50
मध्य प्रदेश					
बनसागर टोन्स-I	315.00	1658.76	1081.36	574.48	1138.38
बनसागर टोन्स-II	30.00	124.40	86.09	107.48	99.3
बनसागर टोन्स-III	60.00	136.53	121.05	39.88	49.13
बारगी	90.00	547.41	498.46	328.10	421.28
गांधी सागर	115.00	405.59	272.15	383.05	291.3
मधीखेरा	60.00	147.62	97.16	92.16	140.83
राजघाट	45.00	56.43	82.53	36.94	62.21
इंदिरा सागर	1000.00	4078.68	2541.90	1974.21	3156.98
ओंकारेश्वर	520.00	1633.22	1128.93	955.01	1350.99
कुल मध्य प्रदेश	2235.00	8788.64	5909.63	4491.31	6710.40
महाराष्ट्र					
भीरा टेल रेस	80.00	95.35	91.25	73.87	95.25
घाटघर पीएसएस	250.00	394.06	320.25	301.86	363.82
कोयना डीपीएच	36.00	163.24	93.41	136.47	133.48
कोयना स्टे.-I व II	600.00	1264.32	1163.44	1239.60	1176.6
कोयना स्टे.-III	320.00	705.80	588.21	534.04	563.92
कोयना-IV	1000.00	1694.89	1206.74	1066.70	1127.85
तिल्लारी	60.00	116.68	113.86	44.16	98.64
वैतर्णा	60.00	132.97	203.82	122.62	116.13
पेंच	160.00	427.29	390.13	378.51	348.17
भंडारधारा-II	34.00	90.80	65.40	82.55	31.80
भीरा	150.00	969.46	837.07	640.34	885.30
भीरा पीएसएस	150.00				0
भिवपुरी	75.00	304.53	300.68	196.92	173.42
खोपोली	72.00	322.93	303.75	261.23	278.46
कुल महाराष्ट्र	3047.00	6682.32	5678.01	5078.88	5392.84
कुल पश्चिमी	7392.00	22828.76	15657.40	12845.34	16037.26
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश					
लोअर सिलेरू	460.00	1268.48	1287.11	1233.14	721.08
एन.जे. सागर आरबीसी	50.00		0.00	0.00	1.54
एन.जे. सागर टीपीडी	90.00	251.58	187.29	0.00	4.15
श्रीशैलम आरबी	770.00	1314.85	1152.73	206.05	624.78
अपर सिलेरू-I व II	240.00	460.14	522.47	465.27	268.51
कुल ऐपजैको	1610.00	3295.05	3149.60	1904.47	1620.06
तेलंगाना					
लोअर जुराला	240.00	-	0.00	8.98	176.34
एन.जे. सागर पीएसएस	815.60	1315.16	1032.63	88.15	175.04
एन.जे. सागर एलबीसी	60.00	98.23	42.07	0.00	0.00
पोचमपड	27.00	85.29	12.87	0.00	66.11
प्रियदर्शिनी	234.00	270.79	224.65	30.42	211.99
पुलीचिंताला	30.00				13.00
श्रीशैलम एलबी	900.00	1464.21	1801.59	154.78	574.37
कुल टीएसजैको	2306.60	3233.68	3113.81	282.33	1216.85
कर्नाटक					
अमत्ती डैम	290.00	507.35	483.01	145.16	403.72
भद्रा	39.20	63.76	50.59	40.08	24.29
गेरुसोप्पा	240.00	619.18	556.90	303.19	227.84
घाटप्रभा	32.00	82.16	66.04	31.93	48.65
जोग	139.20	267.39	346.89	318.36	265.74

कद्रा	150.00	366.91	405.14	220.48	152.37
काली नदी	855.00	2643.33	3255.42	1948.48	1057.32
सूपा डीपीएच	100.00	469.68	453.32	324.94	183.83
कोडासली	120.00	327.94	385.76	203.26	124.05
लिंगनामक्की	55.00	267.94	256.27	118.94	85.46
मुनीराबाद	28.00	102.39	107.20	61.83	32.04
श्रीवथी	1035.00	5593.47	5255.46	2664.50	2186.15
शिवासमुद्रम	42.00	219.07	221.93	216.46	144.55
टी.बी. डैम और हम्पी	72.00	175.78	184.65	129.36	81.31
वराही	460.00	1320.47	1131.72	752.39	660.98
कुल कर्नाटक	3657.40	13026.82	13160.30	7479.37	5678.30
केरल					
इदमलायर	75.00	386.08	372.66	273.00	146.54
इदुक्की	780.00	2738.78	2494.20	2372.40	1227.00
कक्कड	50.00	247.66	192.94	184.22	118.16
कुट्टियाडी	125.00	849.81	740.47	578.05	429.12
कुट्टियाडी एडि. एक्सटें.	100.00			0	0.00
लोअर पेरियार	180.00	601.01	577.15	510.72	298.29
नेरियामंगलम	70.00	365.77	343.30	350.50	189.95
पल्लीवसल	37.50	215.55	211.66	218.69	149.62
पन्नियर	30.00	170.33	154.90	174.30	61.77
पोरिंगलकुथु	32.00	122.79	151.02	159.70	86.47
साबरीगिरी	300.00	1635.21	1224.73	1171.17	705.24
संगुलम	48.00	141.86	151.37	160.99	105.39
शोलायर	54.00	233.33	238.25	210.01	144.02
कुल केरल	1881.50	7708.18	6852.65	6363.75	3661.57
तमिलनाडु					
अलियर	60.00	148.31	158.35	152.96	57.32
भवानी कट्टालई बैराज-III	30.00	25.04	0.00	5.68	17.47
भवानी कट्टालई बैराज-II	30.00	86.12	137.56	7.03	19.66
भवानी कट्टालई बैराज-I	30.00	41.30	67.90	156.51	20.54
कदमपराई पीएसएस	400.00	504.52	502.50	412.63	256.44
कोडायर-I व II	100.00	158.83	202.02	278.58	153.12
कुंडहा I-V	555.00	1528.25	1550.67	1372.44	749.35
लोअर मेडूर I-IV	120.00	279.65	266.71	223.36	92.27
मेडूर डैम और टनल	250.00	461.37	442.62	341.43	125
मोयर	36.00	148.43	144.73	103.64	57.9
पापनसम	32.00	137.70	118.23	116.57	63.66
पर्सन्स वैली	30.00	42.71	34.83	25.63	17.5
पेरियार	161.00	462.95	527.56	504.79	93.91
पाईकारा	59.20	64.69	39.00	56.89	12.74
पाईकारा अल्टीमेट	150.00	399.34	367.03	280.56	179.73
सरकारपथी	30.00	137.99	134.24	79.28	63.29
शोलायर-I व II	95.00	267.09	261.58	263.79	228.11
सुरुलियर	35.00	100.45	103.43	92.50	38.95
कुल टांजैडको	2203.20	4994.74	5058.96	4474.27	2246.96
कुल दक्षिणी	11658.70	32258.47	31335.32	20504.19	14423.74
पूर्वी क्षेत्र					
झारखंड					
सुबर्णरेखा-I व II	130.00	109.53	33.73	51.24	30.13
पंचेट	80.00	127.70	129.26	68.97	129.34
कुल झारखंड	210.00	237.23	162.99	120.21	159.47

ओडिशा					
बालीमेला	510.00	1655.82	1339.23	622.01	848.40
हीराकुड-I	275.50	1019.48	887.10	683.86	671.13
हीराकुड-II	72.00				
मचकुंड	114.75	572.59	519.79	477.47	621.34
रेंगाली	250.00	910.58	742.46	599.46	533.36
अपर इंद्रावती	600.00	2517.07	2696.43	1760.44	1348.37
अपर कोलाब	320.00	871.91	734.48	767.06	537.50
कुल ओएचपीसी	2142.25	7547.45	6919.47	4910.31	4560.10
सिक्किम					
जोरथांग लूप	96.00		0.00	75.06	395.87
चूजाचैन (सिक्किम)	99.00	291.42	430.86	421.43	485.20
तीस्ता-III	1200.00		0.00		113.25
रंगित	60.00	354.50	327.68	345.27	333.31
तीस्ता-V	510.00	2299.46	2586.75	2710.17	2652.84
कुल सिक्किम	1965.00	2945.38	3345.29	3551.94	3980.47
पश्चिम बंगाल					
जलढाका-I	36.00	158.51	109.42	173.37	196.07
पुरुलिया पीएसएस	900.00	784.72	1408.85	1064.56	1017.89
रम्मम-II	50.00	265.38	237.35	253.77	239.56
मैथॉन	132.00	186.95	394.21	514.87	536.86
तीस्ता लो डैम-III	160.00	0.00	0.00	18.76	580.98
तीस्ता लो डैम-IV	63.20	97.93	138.04	107.54	116.72
कुल पश्चिम बंगाल	1341.20	1493.49	2287.87	2132.88	2688.08
कुल पूर्वी	5658.45	12223.55	12715.61	10715.34	11388.12
पूर्वोत्तर क्षेत्र					
असम					
कारबी लांगपी	100.00	422.14	402.43	408.88	384.42
खांडोंग	75.00	179.41	87.86	175.05	192.77
कोपिली	200.00	793.81	629.46	781.80	1039.41
कुल असम	375.00	1395.36	1119.75	1365.73	1616.60
मेघालय					
किरदमकुलई	60.00	133.57	113.10	117.51	62.93
मिटडू	126.00	414.41	408.98	444.35	378.64
उमियम स्टे.-I	36.00	79.21	90.46	114.08	93.43
उमियम स्टे.-IV	60.00	175.01	162.75	184.99	162.50
कुल एमईपीजीसीएल	282.00	802.20	775.29	860.94	697.50
नागालैंड					
दोयांग	75.00	245.71	165.15	163.14	254.55
कुल नागालैंड	75.00	245.71	165.15	163.14	254.55
अरुणाचल प्रदेश					
रंगानदी	405.00	980.94	1109.48	1280.25	1200.35
कुल अरुणाचल प्रदेश	405.00	980.94	1109.48	1280.25	1200.35
मणिपुर					
लोकटक	105.00	639.84	372.44	536.64	707.70
कुल पूर्वी क्षेत्र	1242.00	4064.04	3542.11	4206.70	4476.70
कुल अखिल भारत	44413.42	134847.52	129243.68	121376.75	114330.08

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4769 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार और एनएचपीसी परियोजना के निर्माण क्रियाकलापों को तत्काल पुनः चालू करने के लिए असम राज्य सरकार और पणधारकों के निरंतर संपर्क में है। इस संबंध में विभिन्न समितियां/समूहों जैसे जनवरी, 2011 में टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी (टीईसी) अप्रैल, 2011 में संयुक्त संचालन समिति (जेएससी), दिसंबर, 2012 में डैम डिजाइन रिव्यू पैनल (डीडीआरपी) गठित किए गए और उन्होंने अपनी रिपोर्टें/सिफारिशें प्रस्तुत कीं। माननीय विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा माननीय कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मामलों पर चर्चा करने के लिए 10.12.2014 को असम विशेषज्ञ दल के साथ तथा 11.12.2014 को सुबानसिरी लोअर परियोजना के विभिन्न पणधारकों के साथ बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, परियोजना से संबंधित विभिन्न मार्गदर्शन देने, जांच के लिए निरीक्षण करने तथा परियोजना कार्यान्वयन सहित उनकी अनुपालना का निरीक्षण करने हेतु जनवरी, 2015 में एक समिति गठित की गई है, जिसमें प्रोजेक्ट ओवर साइट कमेटी (पीओसी) के रूप में नामित असम विशेषज्ञ दल से 4 विशेषज्ञ तथा भारत सरकार से 4 विशेषज्ञ शामिल हैं। कुछ मामलों पर अलग-अलग राय के कारण पीओसी सदस्यों द्वारा क्रमशः जनवरी/फरवरी, 16 में असम के विशेषज्ञ दल तथा भारत सरकार के पीओसी सदस्यों से प्राप्त पृथक रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं।

परियोजना को शीघ्र पुनः शुरू करने के लिए 24.02.2017 को ईटानगर में माननीय मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने मुलाकात की। बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लि. के अनुरोध पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विद्युत राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले असम के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने पर सहमत हुए।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4794

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

आईएसजीएन

4794. श्री राहुल शेवाले:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री आनंदराव अडसुल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएन) का एक संस्थापक सदस्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या आईएसजीएन स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड प्रौद्योगिकियों, प्रथाओं और प्रणालियों को उन्नत बनाने हेतु बहुपक्षीय सरकार-से-सरकार सहयोग के लिए तंत्र सृजित करता है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं;
- (ग) क्या देश में स्मार्ट ग्रिड क्रियान्वयन को आईएसजीएन की कार्यकारी समिति बैठक में की गई कार्रवाइयों और लिए गए निर्णयों के माध्यम से प्राप्त किए गए आदानों से बढ़ावा मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों एवं प्रथाओं की समझ को सुधारने और समर्थ बनाने वाली संबद्ध सरकारी नीतियों को बढ़ावा देने से किस सीमा तक फायदा होगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत इंटरनेशनल स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएन) के संस्थापक सदस्यों में से एक है। आईएसजीएन की शुरुआत 19 और 20 जुलाई, 2010 को वाशिंगटन डीसी में हुई 23 देशों और

यूरोपियन संघ (ईयू) के ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्रियों तथा पणधारकों की प्रथम क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (सीईएम) बैठक में हुई थी।

आईएसजीएन का विजन विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सरकारों द्वारा स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से स्मार्ट ग्रिड नीति, प्रौद्योगिकी तथा संबंधित मानकों के मुख्य पहलुओं पर प्रगति को बढ़ाना है। आईएसजीएन गतिविधियों का केंद्र स्मार्ट ग्रिड के उन पहलुओं पर होता है जहाँ सरकारों के पास पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए विनियामक प्राधिकरण, विशेषज्ञता, संचालन शक्ति या अन्य लाभ हैं:

- I. नीति मानक एवं विनियम
- II. वित्तीय एवं व्यावसायिक मॉडल
- III. प्रौद्योगिकी प्रणाली विकास
- IV. कार्यबल कौशल एवं ज्ञान
- V. प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ताओं की नियुक्ति

(ग) और (घ) : जी, हाँ। भारत में स्मार्ट ग्रिड कार्यान्वयन को 13वीं आईएसजीएन एक्सको बैठक में लिए गए निर्णयों और की गई कार्रवाइयों के माध्यम से प्राप्त सुपर्दगियों से सहायता मिलेगी। गत्यात्मक ज्ञान को साझा करना, प्रौद्योगिकी सहायता और प्रगति पर आईएसजीएन की आवधिक रिपोर्टें और पूरे विश्व में स्मार्ट ग्रिडों के क्षेत्र में शुरू की जारी परियोजनाएं भारत में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के उचित परिनियोजन में भी मदद मिलेगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4818

जिसका उत्तर 30 मार्च, 2017 को दिया जाना है ।

गाँवों का विद्युतीकरण

4818. श्री गोपाल शेटी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछड़े गाँवों एवं वन क्षेत्रों सहित दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गाँवों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से गाँवों के विद्युतीकरण हेतु गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी स्वीकृत प्रस्तावों एवं स्वीकृति के लिए लंबित प्रस्तावों की अलग-अलग संख्या कितनी है तथा शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी निधियां जारी की गई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) उन गैर-विद्युतीकृत गाँवों/आवासों को विद्युत की पहुँच उपलब्ध कराता है जहाँ ग्रिड संबद्धता व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुबंध-I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में डीडीजी के अंतर्गत 1254.22 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आज की स्थिति के अनुसार डीडीजी के अंतर्गत कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लंबित नहीं है।

(घ) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीडीजी के अंतर्गत 264.15 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4818 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीजी के अंतर्गत संस्वीकृत राज्य-वार परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या (वासस्थल और गांव)	संस्वीकृत लागत (रु. करोड़ में)
----------	--------------	---	-----------------------------------

2013-2014 में संस्वीकृत परियोजनाएं

1	आंध्र प्रदेश	205	49.18
2	छत्तीसगढ़	87	24.31
4	कर्नाटक	37	27.50
5	केरल	15	5.32
6	मेघालय	3	3.89
7	ओडिशा	7	1.97
	कुल	354	112.17

2014-2015 में संस्वीकृत परियोजनाएं

शून्य			
--------------	--	--	--

2015-2016 में संस्वीकृत परियोजनाएं

1	आंध्र प्रदेश	165	22.09
2	असम	521	294.81
3	अरुणाचल प्रदेश	1000	117.48
4	छत्तीसगढ़	523	177.95
5	झारखंड	305	147.19
6	कर्नाटक	2	.62
7	मध्य प्रदेश	122	60.93
8	मेघालय	77	8.23
9	ओडिशा	190	56.76
	कुल	2905	886.06

2016-2017 में संस्वीकृत परियोजनाएं

1	अरुणाचल प्रदेश	176	41.83
2	छत्तीसगढ़	327	91.26
3	झारखंड	77	48.98
5	मेघालय	132	32.32
6	उत्तराखंड	13	3.31
7	ओडिशा	79	38.29
	कुल	804	255.99
सकल योग		4063	1254.22

लोक सभा में दिनांक 30.03.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4818 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीजी के अंतर्गत राज्य-वार जारी अनुदान

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुदान राशि (रुपए करोड़ में)
वित्तीय वर्ष 2013-14		
1	आंध्र प्रदेश	8.78
2	छत्तीसगढ़	9.36
3	उत्तराखंड	1.27
	उप-जोड़	19.41
वित्तीय वर्ष 2014-15		
1	आंध्र प्रदेश	1.39
2	छत्तीसगढ़	13.13
3	मध्य प्रदेश	6.64
4	उत्तराखंड	1.48
	उप-जोड़	22.64
वित्तीय वर्ष 2015-16		
1	आंध्र प्रदेश	10.92
2	छत्तीसगढ़	32.03
3	कर्नाटक	5.30
4	उत्तर प्रदेश	11.32
5	मध्य प्रदेश	3.93
	उप-जोड़	63.50
वित्तीय वर्ष 2016-17		
1	छत्तीसगढ़	50.98
2	असम	81.70
3	राजस्थान	24.68
4	केरल	1.24
	उप-जोड़	158.60
	सकल योग	264.15
